रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2—मार्च 8, 2013 (फाल्गुन 11, 1934)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2 —MARCH 8, 2013 (PHALGUNA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. आरएस/3/5/2013/12-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप निदेशक (भाषान्तरण) श्री मंजुल कुमार पांडे को 12 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (भाषान्तरण) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. ए-19011/06/2013-प्रशा.I--राष्ट्रपति, जैसा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा उनके दिनांक 12.02.2013 के पत्र संख्या 7/1/2013-ईओ)(एसएम.I) के माध्यम से अवगत कराया गया है, श्री सतनाम सिंह बधावन, आईएफएस (झारखण्ड:1986) को 13 फरवरी, 2013 की अपराह्न से तथा 24.02.2015 तक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. आर. शर्मा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए. 12025/3/2009-पाट-प्रशा.-I(वि.वि)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में अधीक्षक (अनुवाद), श्री राकेश कुमार को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 11 फरवरी, 2013 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री राकेश कुमार को सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का

अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड मे वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जनवरी 2013

सं. के. 13022/1/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्री चन्द्रशेखर को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

जतिन्दर कौर, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 जनवरी 2013

सं. के. 13022/2/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों, (i) न्यायमूर्ति श्री प्रशान्त कुमार (ii) न्यायमूर्ति श्री हरीश चन्द्र मिश्र (iii) न्यायमूर्ति श्री ध्रुव नारायण उपाध्याय को उस तारीख से, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसी वरिष्ठता क्रम में झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 13022/2/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रदीपकुमार प्रेमशंकर भट्ट को उस तारीख से, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 13014/2/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बच्चू लाल को उस तारीख से, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. के. 13030/2/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री अतुल कुमार जैन (ii) श्री महेन्द्र कुमार माहेश्वरी (iii) श्री विष्णु कुमार माथुर (iv) श्री बनवारी लाल शर्मा को उस तारीख से, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए उसी वरिष्ठता क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. के. 13014/3/2012-यू एस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधार्शो (i) न्यायमूर्ति श्री फिलोमॅन मानुयल लोपो सालेश रोजारीओ डूश रेईस (ii) न्यायमूर्ति श्री राजेश गोविंद केतकर (iii) न्यायमूर्ति श्री रवि कृष्णराव देशपांडे (iv) न्यायमूर्ति श्री संजय विजयकुमार गंगापुरवाला (v) न्यायमूर्ति श्री तानाजी विश्वास नलवडे (vi) न्यायमूर्ति श्री मदतअली नुरमोहम्मद गीलानी और (vii) न्यायमूर्ति श्री मदन त्रयंबक जोशी को उस तारीख से, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (viii) न्यायमूर्ति श्री मदनलाल लक्ष्मणदास टहलियानी को दिनांक 26 फरवरी, 2013 से उसी वरिष्ठता क्रम में बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. के. 11019/1/2013-यू एस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल को दिनांक 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. के-11017/13/2012-यू एस-II के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप उस तारीख, जब वे उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/13/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल का स्थानांतरण मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करते हैं और उन्हें

दिनांक 14 फरवरी, 2013 अथवा इससे पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 13012/05/2012-यू एस-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शिवकीर्ति सिंह को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. के-13014/04/2012-यू एस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री अभय महादेव ठिपसे, और (2) श्री उत्कर्ष विश्वनाथ बाक्रे को दिनांक 17 मार्च, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए उसी वरीयता क्रम में बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. I-14012/01/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के 62 आर. आर. (2009 बैच) एवं 63 आर. आर. (2010 बैच) के निम्न परिवीक्षाधीन अधिकारी, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2008 एवं 2009 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, उनके सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय राजस्व सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर, उनके नाम के सामने अंकित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	संवर्ग	बैच	तकनीकी त्यागपत्र की तारीख
	(सर्वश्री)			
1.	कुन्दन कुमार, भा.पु.से. (प.)	उत्तराखण्ड	2009	29.11.2012 (पूर्वा.)
2.	डी. प्रवीन, भा.पु.से. (प.)	तमिलनाडु	2010	28.01.2013 (पूर्वा.)

अरविन्द गौड़, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए-19011/1/2013-अ.रा.प्र.--राष्ट्रपति, श्री तबोम बाम भा.प्र.से. (अ.गो.मे.के.शा. प्र. : 77) को अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय) में भारत सरकार के सचिव के रूप में सचिव के रैंक एवं वेतनमान में दिनांक 11 फरवरी 2013 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पंकज विठल, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. 15011/01/2012-प्र.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री सूर्यप्रकाश कक्कड़, अवर सचिव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को दिनांक 28 फरवरी 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुजाशा चौधुरी, उप सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. /2013 : (फा. सं. ए-19013/3/2013-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग, सी.एस. के दिनांक 8 जनवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2010-सीएएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 तथा 23.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सुश्री तृप्ता गुप्ता को दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. /2013 : (फा. सं. ए-19013/10/2013-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग, सी.ए.एस. के दिनांक 14 जनवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32016/01/2012-सीएएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) तथा 16.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 (भाग) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित निजी सचिव सुश्री हेमा कुमारी को दिनांक 24.12.2012 (अपराह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. /2013 : (फा. सं. ए-19013/11/2013-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग, सी.ए.एस. के दिनांक 14 जनवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32016/01/2012-सीएएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) तथा 16.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2011 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक 27.12.2012 (अपराह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. 2/2013 : (फा. सं. ए-19013/2/2013-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग, सी.ए.एस. के दिनांक 8 जनवरी 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2010-सीएएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 तथा 23.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 (बढ़ाई गई) की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सुश्री बीना रानी को दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. 3 : (फा. सं. ए-38014/8/2012-प्रशा.1क)--राजस्व विभाग में निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री सतीश कुमार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी, 2013 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

शुद्धिपत्र

सं. ए-32011/2/2001-प्रशा. VI--दिनांक 9 मार्च, 2012 को जारी हुई इस विभाग की अधिसूचना सं. 2012 की 02 (फा. सं. ए-32012/2/2001-प्रशा. VI) में श्री रामअवतार वर्मा (85072) के पदनाम को आयकर उपायुक्त के स्थान पर संयुक्त आयकर आयुक्त पढ़ा जाए।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. 8/6/2010-डीआरटी--बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक वर्तमान में ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री मनमोहन आनन्द की सेवाएं दिनांक 04.02.2013 (अपराह्न) से बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंपी जाती हैं।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ए-12026/1/2011-एडी. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक समूह 'ग' (वैयक्तिक सहायक) (तदर्थ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न) श्री बलजीत सिंह को वर्ष 2010 की चयन सूची (विस्तारित) के वरिष्ठता कोटा में दिनांक 22.01.2013 (पूर्वाह्न) से 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रुपये (ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक समूह 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. पीएफजी(1040)/2013-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री एम. जे. जोसेफ, आईसीएएस (1979) को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 22 जनवरी 2013 की पूर्वाह्न से भारत सरकार के अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-19011/2/2013-स्थापना--राष्ट्रपति श्री शम्भू कल्लोलीकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 1991) को दिनांक 05.02.2013 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में पीबी-4 (रुपए 37,400--67,000/-) + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 2(7)/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के

तहत नियमित पदोन्नति और चयन सूची 2010 (एसक्यू) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप इस्पात मंत्रालय के आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (तदर्थ निजी सचिव) श्री राजेश कुमार राजपाल, को दिनांक 23 नवम्बर, 2012 से इस्पात मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर आशुलिपिक 'ए और बी' (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 फरवरी 2013

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013

सं. 11001/01/2012-पीआरसी--

महत्वाकांक्षी भारत के भविष्य को आकार देना

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष (एसटीआई) वैश्विक रूप से राष्ट्रीय विकास के प्रमुख साधनों के रूप में उभरे हैं। चूँकि भारत तीव्र, धारणीय और समावेशी विकास की आकांक्षा रखता है, इसलिए व्यापक जनांकिकी भाग और विशाल प्रतिभावान जनमानस समूह के लाभों के साथ भारतीय एसटीआई प्रणाली को इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय एसटीआई उद्यम को राष्ट्रीय विकास में केन्द्रीय स्थान हासिल करना होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीतियों के परिवर्तनशील चरण

भारत का वैज्ञानिक नीति संकल्प (एसपीआर), 1958 विज्ञान तथा इसके सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने तथा बरकरार रखने के लिए दृढ़ संकल्प था। प्रौद्योगिकी को उस समय देश की स्थापित विज्ञान अवसंरचना से प्रवाहित होने की अपेक्षा की जाती थी। प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (टीपीएस) 1983 ने प्रौद्योगिकीय क्षमता और आत्म निर्भरता हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति (एसटीपी), 2003 विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाई और आर एण्ड डी में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। इसने राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने तथा राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय आर एण्ड डी प्रणाली के साथ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों को समेकित करने की मांग की।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति की आवश्यकता

वैज्ञानिक अनुसंधान ज्ञान के सृजन के लिए पूंजी का उपयोग करता है और समाधान प्रदान करके नवोन्मेष ज्ञान को संपदा और/ अथवा मूल्य में परिवर्तित करता है। अत: नवोन्मेष से तात्पर्य ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों से है जिन्हें अर्थव्यवस्था अथवा समाज में सफलतापूर्वक परिनियोजित किया जाता है। इसने राष्ट्रों के विकासात्मक लक्ष्यों में केन्द्रीय स्थान हासिल कर लिया है। नवोन्मेष के प्रतिमान देश और संदर्भ विशिष्ट बन गए हैं। भारत ने नीति के उपकरण के रूप में नवोन्मेष को अब तक अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम को विकास के लिए एक चालक के रूप में अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी चालित नवोन्मेष को अवश्य अपनाना चाहिए।

भारत ने वर्ष 2010-20 को "नवोन्मेष दशक" के रूप में घोषित किया है। सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में सहक्रिया बनाने के लिए एक नीति प्रतिपादित करने की आवश्यकता पर बल दिया है और इसने राष्ट्रीय नवोन्मेष परिषद (एन आईएन सी) की भी स्थापना की है। यह एसटीआई नीति 2013 इन्हीं घोषणाओं के अनुसरण में है। यह भारतीय संदर्भों में नवोन्मेष के उपयोग करने के लिए नए परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

विज्ञान नीति एक नया प्रतिमान

विज्ञान, अनुसंधान और नवोन्मेष स्वयं एक-दूसरे से कटे हुए पृथक रूप से अस्तित्व रख सकते हैं। परन्तु, यह उनका एकीकरण ही है जो नया मूल्य सृजन प्रदान करता है। भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता उस सीमा से निर्धारित होगी जिस सीमा तक एसटीआई उद्यम सामाजिक हित और/अथवा आर्थिक संपदा में योगदान करेंगे। अत: अन्तर्जात संसाधनों, क्षमताओं और योग्यताओं का उपयोग करके पहचाने गये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस एकीकरण को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक ढ़ांचे का सृजन करने की आवश्यकता है। ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य देखरेख, कौशल विकास और बेरोजगारी की जैसी मुख्य समस्याओं का समाधान करने के लिए नए संरचनात्मक कार्यतंत्रों और मॉडलों की आवश्यकता है। "लोगों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष" भारती एसटीआई उद्यम का नया प्रतिमान है। अत: राष्ट्रीय एसटीआई प्रणाली को अपने प्रमुख स्टेकधारक के रूप में भारतीय समाज को अवश्य पहचानना चाहिए। वैश्विक नवोन्मेष प्रणालियाँ समुदाय के एक बड़े वर्ग को प्राय: नजर अंदाज कर देती हैं। समावेशी विकास के लिए नवोन्मेष का तात्पर्य जहाँ तक संभव हो जनसंख्या के एक बड़े भाग तक समाधानों की पहुंच, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करना है। अत: नवोन्मेष को अवश्य ही समावेशी होना चाहिए। एसटीआई नीति के साधन इन्हें मूर्त रूप प्रदान करने के लिए समर्थकारी होंगे। यह नीति विज्ञान में निवेश तथा सामाजिक-आर्थिक महत्व के चुनिंदा क्षेत्रों में विज्ञान चालित प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के निवेश दोनों को प्राप्त करेगी। आर्थिक और अन्य नीतियों के साथ सहजीवी संबंधों का विकास करके एसटीआई प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के बीच दूरी को पाटने पर मुख्य बल दिया जाएगा।

इच्छित आकांक्षाएं

एसटीआई नीति के प्रमुख घटक :

- समाज के सभी वर्गों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रसार को बढ़ावा देना।
- सभी सामाजिक वर्गों के युवाओं के बीच विज्ञान के अनुप्रयोग हेतु कौशलों को बढ़ावा देना।
- प्रतिभावान और मेधावी लोगों के लिए विज्ञान, अनुसंधान और नवोन्मेष में करियर को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाना।
- विज्ञान के कुछ चुनिंदा अग्रणी क्षेत्रों में विशिष्ट नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) हेतु विश्वस्तरीय संरचना स्थापित करना।
- वर्ष 2010 तक भारत को विश्व की शीर्ष पाँच वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान दिलाना।

- समावेशी आर्थिक विकास एजेंडा तथा उत्कृष्टता और प्रासंगिकता की संयुक्त प्राथमिकताओं के साथ विज्ञान, अनुसंधान एवं नवोन्मेष प्रणालियों के योगदानों को जोड़ना।
- अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के लिए वातावरण को तैयार करना।
- अब तक के सफल मॉडलों का अनुकरण करके अनुसंधान और विकास कार्यनिष्पादन को सामाजिक एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में बदलने को समर्थ बनाना तथा नई पी पी पी संरचनाओं की स्थापना।
- नए कार्यतंत्रों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उच्च जोखिम नवोन्मेषों की शुरूआत करना।
- सभी प्रौद्योगिकी एवं आकार क्षेत्रों में सर्वत्र संसाधान-ईष्टतमीकृत, किफायती नवोन्मेषों को बढ़ावा देना।
- ऐसे कार्यनिष्पादनों जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्त ज्ञान से सम्पदा का सृजन करते हों, को मान्यता, आदर एवं पुरस्कार प्रदान करने के लिए मानसिकता और मूल्य प्रणालियों में बदलाव की शुरूआत करना।
- एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली का सृजन करना।

अनुसंधान और विकास में निवेश

वर्ष 2009 तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में वैश्विक निवेश को 1.2 अमरीकी ट्रिलियन डॉलर आंका गया है। भारत का अनुसंधान और विकास निवेश इसके 2.5% से कम है। और यह वर्तमान में जीडीपी के 1% से कम है। अनुसंधान और विकास सकल व्यय (जीईआरडी) को जीडीपी के 2% तक बढ़ा कर ले जाना कुछ समय से राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को अगले पांच वर्षों में हासिल करना व्यवहारिक है बशर्ते कि निजी क्षेत्र लगभग 1:3 की वर्तमान आनुपातिक दर से अपने अनुसंधान और विकास को बढ़ाकर इसे कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र के आर एण्ड डी निवेश के बराबर कर दें। यह हासिल करने योग्य प्रतीत होता है चूंकि वर्ष 2005 और 2010 के बीच औद्योगिक आर एण्ड डी निवेश 250% तक और विक्रय 200% तक बढ़ा है। आर एण्ड डी कार्य निष्पादनों को वाणिज्यिक परिणामों में रूपांतरित करने के लिए निजी क्षेत्र का बढ़ा हुआ निवेश आवश्यक है। सार्वजनिक आर एण्ड डी निवेशों में विकास की वर्तमान दर को बरकरार रखते हुए, आर एण्ड डी में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए सकल बजटीय सहायता विगत दशक के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। ऐसी बढ़ोत्तरी के प्रभाव देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में वैश्विक रूप से भारत का 9वां स्थान है। दर्ज किए गए पेटेंटों की संख्या में इसका 12वां स्थान है। भारतीय प्रकाशनों की समग्र वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) लगभग 12±1% है और भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2001 में 1.8% से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.5% हो गई है। परन्तु शीर्ष 1% प्रभावकारी जरनलों में भारतीय प्रकाशनों का प्रतिवर्ष मात्र 2.5% रहा है। वर्ष 2020 तक वर्तमान स्तर से प्रकाशनों के वैश्विक हिस्से को दोगुना तथा शीर्ष 1% जरनलों में पत्रों की संख्या को अवश्य चौगुना करना चाहिए। भारतीय प्रकाशनों के उद्धरण प्रभाव को अवश्य सुधरना चाहिए और इसे कम से कम वैश्विक औसत के बराबर होना चाहिए। इस नई नीति के अंतर्गत हुई पहलों से वर्ष 2020 तक अनुसंधान के इन सूक्ष्म संकेतकों का हासिल किया जाना संभव हो जाना चाहिए।

यूनेस्को की वैश्विक विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान रैंकिंग आर एण्ड डी कार्मिकों के पूर्णकालिक समकक्षों (एफटीई) की इसकी संख्या के साथ बराबरी रखती है। यह अनिवार्य है कि अगले पाँच वर्षों के भीतर आर एण्ड डी कार्मिकों की एफटीई की कुल संख्या वर्तमान संख्या से कम से कम 66% तक बढ़े।

अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता तथा प्रासंगिकता को प्रोत्साहित करना

आधार का संपोषण करना

विज्ञान के लिए प्रतिभावान युवाओं के सतत आपूर्ति तंत्र को सुनिश्चित करना एक चुनौती है। भारत ने विज्ञान तथा अनुसंधान में करिअर बनाने के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु कुछ नई पहलें शुरू की हैं। स्थानीय कार्यकलापों के लिए स्टेकधारकों को सशक्त बनाना इन पहलों का मुख्य घटक है। यह नीतिगत ढांचा शिक्षण पद्धति, विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करके, विज्ञान शिक्षकों को प्रोत्साहित करके तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण हेतु स्कीमों के माध्यम से स्कूली विज्ञान शिक्षा सुधारों को आगे और समर्थ बनाएगा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान में तेजी लाने और विज्ञान और इंजीनियरी में युवा नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यतंत्रों को भी तैयार किया जाएगा।

उत्कृष्टता और प्रासंगिकता

वैश्विक मानकों के समक्ष उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रासंगिकता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आधारभूत अनुसंधान में निवेश को बढ़ाया जाएगा।

लैंगिक समानता

एसटीआई कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कार्यरत महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई और लचीली स्कीमें तैयार की जाएंगी। अनुसंधान और विकास में महिलाओं के पुन:प्रवेश हेतु व्यापक क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट करिअर मार्गों के लिए सुगमीकरण कार्यतंत्रों की मांग की जाएगी।

अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र

कुछ अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों जिन्हें स्थापित किया गया था उन्होंने इस संकल्पना को सफल और व्यवहार्य साबित किया है। ऐसी उन्नत अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों, जो अन्यथा विश्वविद्यालय परिवेश में उपलब्ध नहीं होती, तक विश्वविद्यालय अनुसंधानकर्ताओं की पहुंच को सभी व्यापक वर्गों तक समर्थ बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इसके अनुप्रयोगों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानविकी सहित यह विषय विशिष्ट तथा बहु-विषयात्मक होगा।

वैश्विक अनुसंधान और विकास अवसंरचना तथा वृहत् विज्ञान में भागीदारी

आधुनिक विज्ञान निरंतर संसाधन की मांग करने वाला बनता जा रहा है। अंतर-राष्ट्रीय सहसंघ पद्धति के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में उच्च लागत वैश्विक अवसंरचनाएं स्थापित करना आवश्यक हो गया है। विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए पहुंच हासिल करने हेतु ऐसी परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और सुविधाजनक बनाया जाएगा। अपने अप्रत्याशित (स्पिन ऑफ) लाभों के साथ कुछ उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में वैश्विक अनुभव और प्रतिस्पर्धात्मकता अर्जित करने के लिए यह भारतीय उद्योग को समर्थ बनाएगा।

कार्यनिष्पादन से जुड़े पुरस्कार एवं निवेश

अनुसंधान में पूर्व एवं साबित कार्य निष्पादन रिकॉर्ड के आधार पर पारदर्शी केन्द्रीय रूप से कार्यान्वयन योग्य कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन स्कीम (पीआरआईएस) को ऐसे कार्य निष्पादकों में अनुदान आधारित निवेशों को समर्थ बनाने के लिए तैयार किया जाएगा, तथापि प्रौद्योगिकी विकास एवं ज्ञान सेवाएं प्रदान करने वाले अनुसंधान और विकास के लिए मानदण्ड संस्थान विशिष्ट होगा। सार्वजनिक एवं कार्य नीति हितों को पूरा करने वाले कार्यनिष्पादनों हेतु सार्वजनिक वित्त पोषित आरएण्डडी केन्द्रों के लिए केन्द्रीय रूप से स्थापित प्रोत्साहनों को शुरू किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एजेंडा और एसटीआई प्रणाली

आर एण्ड डी के वृहत संकेतक एक राष्ट्र की नवोन्मेष क्षमताओं को वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे समुचित संकेतक, जो प्रासंगिकता और किफायती नवोन्मेष के साथ उत्कृष्टता एवं नव प्रवर्तनशीलता के उपायों को समेकित करते हों, साक्ष्य आधारित नीतिगत कार्यों के लिए आवश्यक हैं। अब तक अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश हेतु मुख्य कार्यनीति आपूर्ति पक्ष से होने वाले अंत:क्षेप रही है। इसे बदलने की आवश्यकता है। आपूर्ति पक्ष अंत:क्षेपों और मांग आधारित निवेश पर एक समान बल देना चाहिए।

उच्च प्रभाव क्षमता के लगभग 10 क्षेत्रों को निर्देशित एसटीआई अंत:क्षेपों और समुचित संसाधनों के परिनियोजन हेतु पहचाना जाएगा। ऐसे नीतिगत साधनों, जो इन क्षेत्रों में अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्र करने के लिए सांस्थानिक अनुसंधान और आर एण्ड डी उद्यमों दोनों को सुविधा प्रदान करते हों, को तैयार किया जाएगा।

विचार से बाजार तक नवोन्मेष की जटिल मूल्य श्रृंखला प्राय: सभी स्तरों: अनुसंधान, प्रौद्योगिकी जानकारी, विनिर्माण एवं सेवा स्तरों पर एसटीआई अंत:क्षेपों की मांग करती है। सामाजिक-आर्थिक महत्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में यह नीति अंत:क्षेप, सहायता, निवेश के लिए एक साकल्यवादी उपागम को समर्थ बनाएंगी। इस दिशा में उठाये गये कदम एन आईएन सी द्वारा शुरू किए गये कार्यक्रमों से समावेष रखेंगे।

कृषि के लिए अनुसंधान और विकास नीति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), द्वारा प्रतिपादित की जाती है। राष्ट्रीय आर एण्ड डी प्रणाली और एसटीआई नीति के साथ कृषि अनुसंधान और विकास नीति का समेकन किया जाएगा।

विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एसटीआई जानकारियों से बढ़ा हुआ रोजगार सृजन हो सकता है। तथापि इस क्षेत्र के लिए नवोन्मेष परिवेश उद्यम और संदर्भ की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में वैश्विक व्यापार का भारतीय हिस्सा वर्तमान में केवल लगभग 8 प्रतिशत है और इस क्षेत्र की वर्तमान प्रौद्योगिकी गहनता 6-7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। आर एण्ड डी से व्यापक प्रौद्योगिकी निवेशों के माध्यम से इन्हें दोगुना करने का लक्ष्य है। आर एण्ड डी गहनता को बढ़ाने तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उद्योग क्षेत्रों के कार्य नीति चयन किए जाएंगे जहाँ नेतृत्व के लिए भारत आकांक्षा रख सकता है। लघु एवं मध्यम उद्योगों (एसएमई) में सामान्यत: निम्न आर एण्ड डी गहनता होती है। फर्म अथवा सहकारी स्तर पर आर एण्ड डी सहायता तथा इससे जुड़ी सेवाओं के लिए विशिष्ट स्कीमें तैयार एवं शुरू की जाएंगी।

सेवा क्षेत्र की आर एण्ड डी गहनता सामान्यता: निम्न होती है। इसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा कौशल आधार को भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना होगा। प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा सेवा क्षेत्रों में मिशनों की पहचान की जाएगी। पारदर्शी सरकारी कार्यतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी चालित सेवाओं के परिनियोजन को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

जलवायु विभिन्नता एवं परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय है और भारत ने जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) प्रतिपादित की है और बहुत से राष्ट्रीय मिशनों की पहचान की है। एसटीआई प्रणाली की इन मिशनों में सक्रिय भूमिका होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने तथा भारत की साम्यता आधारित विभेदीकृत और साझा जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यह कार्यनीतिक ज्ञान के स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा।

आर एण्ड डी में निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित करना

सामाजिक और लोकहित उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागरीदारियों हेतु सार्वजनिक निधियों को नई नीतिगत पहल के रूप में निर्धारित किया जाएगा। नवोन्मेष और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में संसाधनों के महत्वपूर्ण स्तरों पर निवेश करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के रूप में एक राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्रतिष्ठान को स्थापित किया जाएगा। इस नीति का मुख्य बल निम्न बिन्दुओं पर होगा।

- भारत तथा विदेश में आर एण्ड डी केन्द्रों में निजी क्षेत्र निवेश को सुविधाजनक बनाना।
- लाभ भागिता हेतु प्रावधानों सहित पीपीपी प्रणाली में बड़ी आर एण्ड डी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय आर एण्ड डी प्रणाली में बहुल स्टेकधारकों की प्रतिभागिता को अनुमति प्रदान करना।
- सार्वजनिक निधियों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र में आर एण्ड डी को सार्वजनिक संस्थानों के समतुल्य व्यवहार करना।
- वैश्विक रूप से आर एण्ड डी वित्तपोषण कार्यतंत्रों और प्रतिमानों के मानक निर्धारित करना।

- सार्वजनिक निधियों से सहायित होने तथा पीपीपी के अंतर्गत सृजित आईपीआर की साझा हिस्सेदारी होने पर सामाजिक हित के लिए प्रगतिशील अधिकारों हेतु प्रावधान करने के लिए आईपीआर नीति में संशोधन करना।

- प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (टी बी आई) और विज्ञान चालित उद्यमिता के सम्पोषण हेतु नए कार्यतंत्रों को शुरू करना।

- हरित विनिर्माण पर बल के साथ नवोन्मेष के वाणिज्यीकरण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना।

स्टेकधारकों और समाज के लिए एसटीआई कार्य निष्पादन हेतु सुपुर्दगी प्रणाली

वैज्ञानिक कार्य निष्पादन और प्रौद्योगिकी नवोन्मेष का सामाजिक व्यवस्था में प्रसार एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है। मिशन-उन्मुख कार्यनीतिक क्षेत्रों के अलावा, सुपुर्दगी कार्यतंत्र निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से बड़ी संख्या में मध्यवर्ती संस्थाओं को शामिल करता है। इसके लिए वैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के बीच सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। साझा दृष्टिकोण, मिशन-उन्मुख उपागम तथा देयता के प्रावधानों के साथ नए सुपुर्दगी मॉडलों को अपनाने के माध्यम से यह एसटीआई नीति सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों के आर एण्ड डी आवंटनों का लाभ उठाएगी। राज्य सरकारें महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि इस नई एस टी आई नीति द्वारा राज्य-विशिष्ट एस एण्ड टी दृष्टिकोण और योजनाएं संसूचित तथा निर्देशित की जाएं जिनके प्रति राज्य एस एण्ड टी परिषदों/बोर्डों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। एसटीआई के कार्य निष्पादनों को विशेषकर ग्रामीण प्रौद्योगिकियों को बुनियादी स्तर पर प्रदान करने में एनजीओ को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष हेतु परिवेश में परिवर्तन

शैक्षणिक समुदाय-अनुसंधान-उद्योग भागीदारियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट एवं नवोन्मेषी कार्यतंत्रों को तैयार किया जाएगा। शैक्षणिक समुदाय से उद्योग तथा विपर्यय में विशेषज्ञों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। भारतीय अनुभव से एस एण्ड टी - आधारित नवोन्मेषों में सफलता की कहानियों को दोहराया एवं बढ़ाया जाएगा। आविष्कारकर्ताओं और निवेशकों के बीच आईपीआर की हिस्सेदारी के लिए विनियामक तथा विधिक रूपरेखाओं को तैयार किया जाएगा। नई आर एण्ड डी खोजों और आधारिक नवोन्मेष के वाणिज्यिक उपयोग में रूपान्तरण के अन्तरालों को पाटने के लिए मापदण्ड बनाया जाएगा।

निवेशों के लिए केन्द्रीय रूप से विकसित योजनाओं की कठोरता प्राय: अग्रणी विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और नवोन्मेष हेतु अनुकूल नहीं होती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में पंचवर्षीय योजना स्कीमों को सुव्यवस्थित करने वाला एक लचीला उपागम मुख्य शासी मानदण्ड के रूप में गति, स्तर और धारणीयता के साथ तैयार किया जाएगा।

''जोखिम'' एक जीवंत नवोन्मेष प्रणाली का अभिन्न अंग है। सरकार द्वारा जोखिम की हिस्सेदार आर एण्ड डी और प्रौद्योगिकी विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। असफलता के भय के बिना उद्यमों में निवेश के लिए नवीन वित्तपोषण कार्यतंत्र तथा असफल उद्यमों को बंद कर देने के प्रावधान एक समर्थकारी नवोन्मेष परिवेश के आवश्यक भाग हैं। स्वदेशी नवोन्मेष के माध्यम से विकसित अपनी तरह के पहले उत्पादों का समर्थन करने वाली और वैश्विक स्तर पर ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करने के कदम उठाने वाली सार्वजनिक प्रापण नीति आवश्यक है।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों के व्यय नियंत्रण के सामान्य नियम विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे गैर-पंक्तिबद्ध विकास क्षेत्रों और साथ ही नवोन्मेषी क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं होते। लेखा परीक्षा सिद्धांतों को ''प्रक्रियाओं के अनुपालन'' की तुलना में ''कार्यनिष्पादन'' से अधिक जुड़ा होना चाहिए। इस प्रणाली को वास्तविक असफलता तथा प्रक्रिया हानियों के बीच विभेद करने में सक्षम होना चाहिए।

यह नीति मुख्य रूप से निम्नलिखित पर बल देगी :-

- कृषि, दूरसंचार, ऊर्जा, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और औषधि खोज, सामग्री, पर्यावरण और जलवायु विभिन्नता एवं परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण आर एण्ड डी क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारण।

- परम्परागत ज्ञान सहित अंतरविषयात्मक ज्ञान को बढ़ावा देना।

- कार्यनीतिक क्षेत्रों में नागरिक सामर्थ्य के उपयोग सहित नवोन्मेष समाज में उपयोग एवं वितरण को प्रोत्साहन देना।

- नवोन्मेषी इंक्यूबेटरों को सहायता प्रदान करने के लिए ''लघु विचार-अल्प पूंजी'' और ''जोखिमपूर्ण विचार निधि'' जैसे कार्यतंत्रों को बढ़ावा देना।

- सामाजिक समावेशन हेतु नवोन्मेष निधि की स्थापना।

- राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधानों को खोजने हेतु आधुनिक विज्ञान द्वारा परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाना।

- व्यवहार्य एवं उच्च रूप से आरोह्य व्यवसाय मॉडलों के साथ एसटीआई चालित उद्यमिता को सहायता प्रदान करना।

- शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों और उद्यमियों पर निवेश करना।

सहयोग के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करना

सार्वजनिक और सामाजिक हित के लिए मुक्त स्रोत उपागम रोचक नवोन्मेष प्रणालियों का गठन करते हैं। बहु-स्टेक धारक भागीदारी के माध्यम से सृजित आईपीआर का प्रबंधन करने के लिए साझा ज्ञान (नोलेज कॉमन) एक उभरता हुआ विषय है। यह एसटीआई नीति आंकड़ों तक पहुंच और हिस्सेदारी तथा साथ ही आईपीआर के सृजन और हिस्सेदारी के लिए एक नए विनियामक ढांचे को स्थापित करने की मांग करेगी। यह नया नीतिगत ढांचा विज्ञान, प्रौद्योगिकी नवोन्मेष में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग दोनों के माध्यम से अन्य राष्ट्रों के साथ कार्यनीतिक भागीदारियों और गठबंधनों को समर्थ बनाएगा। विज्ञान कूटनीति, प्रौद्योगिकी सहक्रिया और प्रौद्योगिकी प्रापण मॉडलों को कार्यनीति संबंधों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से परिनियोजित किया जाएगा।

लोक जागरूकता तथा भारतीय एसटीआई क्षेत्र की लोक देयता

जनता को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों से परिचित कराने और लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञान के बारे में लोगों की समझ एक महत्वपूर्ण आयाम है। विज्ञान अथवा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के सभ्यता संबंधी पहलू को व्यवस्थित रूप में समाज के सभी वर्गों तक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जैसे साधनों का उपयोग करके प्रभावी विज्ञान संचार पद्धतियों को शुरू किया जाएगा।

विज्ञान की सार्वजनिक एवं राजनीतिक समक्ष को साक्ष्य एवं खुले विचारों वाले विचार विमर्शों पर आधारित होना चाहिए। लोगों तथा नीति निर्माताओं को उभरती प्रौद्योगिकियों के उनके नैतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों सहित निहितार्थों से अवश्य परिचित कराया जाना चाहिए। विशिष्ट परिदेयों और समयबद्धता के साथ मिशन-उन्मुख कार्यक्रमों पर श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाएगा। सामाजिक वैज्ञानिकों को शामिल करने वाली स्वायत्त एवं सुदृढ़ प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय एसटीआई उद्यम के कार्यानिष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु कार्यतंत्रों को स्थापित किया जाएगा। लोक देयता के इस प्रयास में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों को मुख्य भूमिका सौंपी जाएगी।

नीति संबंधी दृष्टिकोण

तीव्र, धारणीय और समावेशी विकास के लिए विज्ञान-चालित समाधानों की खोज और सुपुर्दगी की गति को बढ़ाना महत्वाकांक्षी भारतीय एसटीआई उद्यम का निर्देशक दृष्टिकोण है। भारत हेतु उच्च प्रौद्योगिकी निर्देशित पथ के लिए एक सुदृढ़ और व्यवहार्य विज्ञान, अनुसंधान एवं नवोन्मेष प्रणाली (सृष्टि) इस नई एसटीआई नीति का लक्ष्य है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 32012/2/2010-आईएफएस-I(एजीएमयूटी)--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 32012/1/93-भा.व.से. I दिनांक 23.11.2000 के अधिक्रमण में और भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश सेगमेंट के राज्य वन सेवा अधिकारी (एसएफएस) श्री बी. सी. दास (जन्म तिथि : 01.08. 1945) को, 1995-96 की चयन सूची के लिए 01.02.2010 को हुई चयन समिति की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत एजीएमयूटी संयुक्त संवर्ग का अरुणाचल प्रदेश सेगमेंट आवंटित करते हैं।

इसे कैट (सीएटी) गुवाहाटी के 2009 के ओए सं. 125 में आदेश दिनांक 30.06.2009 के अनुपालन में जारी किया जाता है।

एस. एस. बधावन, निदेशक (आईएफएस)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 17013/13/2012-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007-ए से 2011 के लिए राजस्थान राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए राजस्थान राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं :--

2007-ए की चयन सूची

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)	जन्मतिथि
1.	बी. आर. भादू	16.07.1959
	2008 की चयन सूची	
1.	घनश्याम प्रसाद शर्मा	08.09.1960
2.	अक्षय सिंह	07.08.1959
	2009 की चयन सूची	
1.	वॉय. के. साहू	20.09.1959
2.	अनिल कुमार कपूर	25.09.1959
3.	दया राम शरण	07.09.1956
4.	राहुल कुमार भटनागर	01.07.1959
5.	इंद्र पाल सिंह	02.04.1959
6.	मणि राम पुनिया	12.12.1957
7.	आर. पी. गुप्ता	15.07.1959
8.	दया सिंह दुलार	08.07.1960
9.	उमा राम चौधरी	15.09.1961
10.	लक्ष्मण लाल (एस सी)	01.06.1957
11.	लक्ष्मण लाल परमार (एस सी)	15.05.1956
12.	बुद्धि प्रकाश पारीक	07.07.1957
13.	राज कुमार सिंह	09.01.1964
14.	राजेश कुमार जैन	31.08.1961
15.	महेन्द्र कुमार अग्रवाल	04.08.1960
16.	मनोज पराशर	15.07.1962
	2010 की चयन सूची	
1.	दिग्विजय गुप्ता	30.09.1960
2.	के. आर. काला	22.05.1956
3.	पी. डी. गुप्ता	07.08.1958
4.	*सुधीर जैन	25.12.1958
5.	वेद प्रकाश गुर्जर	14.07.1961

*क्रम सं. 4 के अधिकारी को उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक कार्रवाईयों में से निकासी के अध्यधीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

2011 की चयन सूची

1.	रूप नारायण मीणा (एस टी)	01.06.1973
2.	ललित सिंह राणावत	01.07.1958
3.	अमर सिंह गोठावल (एस सी)	01.07.1963
4.	पोकर मल सेवदा	02.03.1958
5.	ओम प्रकाश शर्मा	15.09.1959
6.	*आर. एस. शर्मा	16.07.1957

*क्रम सं. 6 के अधिकारी को उनके विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाईयों में से निकासी के अध्यधीन और उच्च न्यायालय जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 21.01.2013 के अनुपालन में अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

सी. एस. ठाकुर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ए-11013/03/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, गैर-सेवा कार्मिक को 17 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (ए. एच. खान चौधरी) के प्रथम वैयक्तिक सहायक (पीबी-2, ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय की नियुक्ति समकालिक (को-टर्मिनस) आधार पर अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित होने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. ए-19012/01/2013-ई-I--राष्ट्रपति, श्री निकुंज बिहारी ढल, आईएएस (ओआर:93), को 24.01.2013 के अपराह्न से और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए अर्थात् 10.04.2017 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) और ग्रेड वेतन 10,000/- रु. में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. ए-32012/1/2012-डीएफक्यूसी--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर श्री जयंत कुमार, औषध निरीक्षक को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में 03 जनवरी, 2013 से आगामी आदेशों तक संशोधित वेतन अवसंरचना पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन (समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय) एवं अनुज्ञेय भत्तों में सहायक औषध नियंत्रक (भारत) के पद पर नियमित अस्थाई तौर पर पदोन्नत करते हैं।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2013

शुद्धिपत्र

सं. 32013/2/2012-स्था.-I--इस विभाग में नियमित आधार पर अवर सचिवों की नियुक्ति के बारे में इस प्रभाग की दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में यह कहना है कि क्रम सं. 3 पर अधिकारी का नाम श्रीमती रोमिला वरंदानी के स्थान पर कुमारी रोमिला वरंदानी पढ़ा जाए और अधिकारी का सीएसएल नं. 6454/1995 के स्थान पर 6454/1997 पढ़ा जाए।

संदीप कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. 4-10/2011-विस्तार--राष्ट्रपति, विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली में श्रीमती किरण बाला, सहायक सम्पादक (अंग्रेजी) को रुपए 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + ग्रेड वेतन रुपए 6,600/- के वेतनमान में उसी निदेशालय में संयुक्त निदेशक (फार्म सूचना) जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय के पद पर नियमित पदोन्नति के आधार पर दिनांक 01.02.2013 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. ए-13033/1/2013-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री पी. के. झा, भा.व.से. (उड़ीसा : 93) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्पफिंग स्कीम के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग में 01 फरवरी 2013 के पूर्वाह्न से वन उप महानिरीक्षक (गैर सीएसएस पद) के तौर पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

सं. ए-32011/7/2012-ई-I--राष्ट्रपति, श्री टी. आर. सदासिवन नायर, अनुभाग अधिकारी (उच्चतर ग्रेड), केरल सरकार, को मंत्री जी के वर्तमान कार्यकाल के साथ सह-समाप्य आधार पर अथवा मंत्री जी के सहायक निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने तथा अथवा अगले

आदेश होने तक, जो भी पहले हो, दिनांक 01.11.2012 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधान विकास राज्य मंत्री (डॉ. शशि थरूर) के सहायक निजी सचिव (वेतन बैंड-2 में 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2013

सं. ए-32011/6/2012-ई-I--राष्ट्रपति, श्री सुरेश चन्द्र सिंह (गैर सरकारी अधिकारी) को दिनांक 29.10.2012 (पूर्वाह्न) से मंत्री जी के वर्तमान कार्यकाल के साथ सह-समाप्य आधार पर अथवा मंत्री जी के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधान विकास राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) के अपर निजी सचिव (6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन पर पे बैंड-3) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2013

सं. ए-32013/1/2011-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 3/4/2012-सीएस-II (ए) दिनांक 16.11.2012 के जरिये वरीयता कोटे के तहत वर्ष 2011 के लिए उनका नाम प्रधान निजी सचिव के चयन सूची में शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सी.एस.एस.एस. के नियमित निजी सचिव, श्री हेतराम को दिनांक 16.11.2012 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की संवर्ग यूनिट में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में प्रोफॉर्मा पदोन्नति के आधार पर प्रधान निजी सचिव की श्रेणी में नियुक्त करते हैं।

के. एस. महाजन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. ए-42018/45/2009-स्था.-I(भाग)--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.12.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अनुसार, श्री के. वी. एस. राव, निदेशक के स्थान पर श्री डी. के. पाण्डा, अवर सचिव, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। श्री पाण्डा का ब्यौरा इस प्रकार है :--

श्री डी. के. पाण्डा,
अवर सचिव (डीडी-III)
कमरा सं. 253 ए, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दूरभाष : 23381641

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, श्री के. वी. एस. राव, निदेशक, नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। श्री राव का ब्यौरा इस प्रकार है :--

श्री के. वी. एस. राव,
निदेशक (डीडी)
कमरा सं. 633, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दूरभाष : 23387539

3. श्री के. वी. एस. राव तथा श्री डी. के. पाण्डा के अवकाश आदि पर रहने के दौरान उनके सहवर्ती अधिकारी क्रमश: अपीलीय प्राधिकारी तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. ए-12034/08/2012-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री एन. टी. पिल्लई, सुपुत्र स्वर्गीय एम. एन. पिल्लई, बी-4/140-बी, केशवपुरम (लारेंस रोड), दिल्ली-110035 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नाईक) के सहायक निजी सचिव के रूप में 12.11.2012 (पूर्वाह्न) से मंत्री के कार्यकाल के सह-सत्रावसान तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-19011/69/2012-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/32/2011-ईओ-(एसएम-I) के अनुसरण में, श्रीमती डिम्पल वर्मा, आईएएस (यू.पी.:89), संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 7 महीने और तीन दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को छोड़ने के उपरांत 10.09.2013 तक बढ़ाते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जनवरी 2013

सं. ए-32013/1/2009-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस-I(यू) के अनुसरण में, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई प्रवर सूची वर्ष में केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	सीएस एल सं.	किस चयन वर्ष में नाम शामिल किया गया	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति की तारीख	
				तदर्थ	नियमित
1.	श्री के. एस. दहिया	6153	2009	10.04.2008	01.07.2009
2.	श्री विजय कुमार	6648	2009	14.06.2010	01.07.2009
3.	श्री कर्म वांगड़ी शेरपा	6664	2009	14.06.2010	01.07.2009
4.	श्री उदय नारायण सिन्हा	6589	2010	31.05.2010	01.07.2010
5.	श्री ओ. पी. वर्मा	6684	2010	03.09.2010	01.07.2010
6.	श्री देव नाथ साहा	6741	2010	09.09.2010 (अपराह्न)	01.07.2010

2. संबंद्ध चयन सूचियों में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता उसी क्रम में होगी, जिस क्रम में उनके नाम व्यवस्थित किए गए हैं। जिन रिक्तियों के संबंध में अधिकारियों को प्रवर सूचियों में शामिल किया गया था वे दिनांक 01.07.2009 से 30.06.2010 (प्रवर सूची-2009) और 01.07.2010 से 30.06.2011 (प्रवर सूची-2010 के लिए) से संबंधित हैं।

3. अवर सचिव प्रवर सूची 2009 में उनका नाम शामिल होने पर उपर्युक्त अधिकारियों की अवर सचिव ग्रेड मे नियमित नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश तथा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार "पी. एस. भण्डारी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य" नामक ओ. एं. सं. 611/2012 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

विमल, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. पीएफ-610/प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री जे. पी. गौतम, अवर सचिव, दूरसंचार विभाग, दिनांक 31.01.2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे।

विमल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" में नियुक्ति।

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री रवि वर्मा (रैंक नं. 485) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री

छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री रवि वर्मा,
ए 2/24, ग्रीन टॉवर,
गोल्फ ग्रीन,
डाकघर कोलकाता
जिला-कोलकाता
पश्चिम बंगाल-700095

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री अनुराग त्रिपाठी (रैंक नं. 508) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री अनुराग त्रिपाठी,
गांव शोरा, डाकखाना गंगागंज,
जिला रायबरेली,
उत्तर प्रदेश - 229303

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री हर्षवर्धन सिंह खांगरोट (रैंक नं. 526) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री हर्षवर्धन सिंह खांगरोट,
डी-52, रोड नं. 5, बापू नगर सेंटी,
चित्तौड़गढ़, डाकखाना - बापू नगर सेंटी,
जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312025

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर सुश्री रश्मी रमेश डोड्डामाने (रैंक नं. 677) (ओ.बी.सी.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने (ii) उचित माध्यम से सत्यापित किए जा रहे समुदाय प्रमाण-पत्र तथा यदि सत्यापन में यह उद्घाटित होता है कि अभ्यर्थी का ओ.बी.सी. से संबंधित होने अथवा क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने का जो भी मामला हो, असत्य है, तो आगे कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल रूप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

सुश्री रश्मी रमेश डोड्डामाने,
सुपुत्री श्री रमेश ए. चाननगिहाली,
कट्टया होवली, हसन तालुक,
डाकखाना अंकपुरा पोस्ट,
जिला हसन, कर्नाटक - 573120

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर सुश्री स्नेहल आर. (रैंक नं. 789) (अ.जा.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के विर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने (ii) उचित माध्यम से सत्यापित किए जा रहे जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र तथा यदि सत्यापन में यह उद्घाटित होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने संबंधी दावा, जो भी मामला हो, असत्य है, तो आगे कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत

की जा सकने वाली ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल रूप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

सुश्री स्नेहल आर.,
सुपुत्री प्रो. ए. एस. रायामाने,
66, अन्नापूर्णेश्वरी, 10वां मेन,
तीसरा क्रॉस, मुनेस्वरनगर,
उल्लाल मेन रोड, डाकखाना जनाना भराठी,
जिला बेंगलुरू, कर्नाटक - 560056

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री विकास कुंडल (रैंक नं. 797) (अ.जा.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने (ii) उचित माध्यम से सत्यापित किए जा रहे जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र तथा यदि सत्यापन में यह उद्घाटित होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने संबंधी दावा, जो भी मामला हो, असत्य है, तो आगे कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल रूप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार

विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री विकास कुंडल,
गांव खारियन, डाकखाना - मिरान साहिब,
जिला - जम्मू, जम्मू व कश्मीर - 181101

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री अरविंद प्रकाश शाक्शा (रैंक नं. 864) (अ.ज.जा.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह ''क'' के कनिष्ठ समयमान में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने (ii) उचित माध्यम से सत्यापित किए जा रहे जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र तथा यदि सत्यापन में यह उद्घाटित होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने संबंधी दावा, जो भी मामला हो, असत्य है, तो आगे कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल रूप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री अरविंद प्रकाश शाक्शा,
ए-77ए, गली नं. 2, फेज़-1,
आया नगर, नई दिल्ली-110047

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री दिलीप

कुमार राठौड़ (रैंक नं. 662) (ओ.बी.सी.) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह ''क'' के कनिष्ठ समयमान में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने (ii) उचित माध्यम से सत्यापित किए जा रहे समुदाय प्रमाण-पत्र तथा यदि सत्यापन में यह उद्घाटित होता है कि अभ्यर्थी का ओ.बी.सी. से संबंधित होने अथवा क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने का जो भी मामला हो, असत्य है, तो आगे कोई कारण बताए बिना और झूठे प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल रूप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री दिलीप कुमार राठौड़,
सुपुत्र श्री अमृत लाल राठौड़,
डीएजी बस स्टैंड के निकट, डीएजी
डाकखाना डीएजी, झालावाड़,
राजस्थान-326514

दिनांक 11 जनवरी 2013

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री अभिषेक कुमार सिंह (रैंक नं. 517) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह ''क'' के कनिष्ठ समयमान में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री अभिषेक कुमार सिंह,
11/671, इन्दिरा नगर,
जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016

सं. 7-01/2011-एसईए-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री अंकित आनन्द (रैंक नं. 530) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :--

(i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।

(ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी की यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

(iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।

(iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।

(v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठा अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

(vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

(vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।

3. (ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाण-पत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उसके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी. एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए-I)

सेवा में

श्री अंकित आनन्द,
ए-66, ज्ञानद्वीप अपार्टमेंट,
मयूर विहार-1,
नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. 3(1)/2013-कार्मिक-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.06.2005 के आदेश संख्या 10/3/2004-सीएस-II (खण्ड-I) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित निजी सचिवों को दिनांक 01.01.2013 से 5,400/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 का अकृत्यिक वेतनमान दिया है :--

1. श्री गौतम कपूर, निजी सचिव
2. श्री एस. के. गुप्ता, निजी सचिव

2. उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.11.2009 के आदेश संख्या 10/3/2004-सीएस-II (खण्ड) के अनुसार वेतन निर्धारण के लाभ के पात्र होंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

सं. 3(1)/2013-कार्मिक-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.01.2006 के आदेश संख्या 5/4/2005-सीएस-I के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.11.2003 के आदेश संख्या 21/36/03-सीएस-I के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 01.01.2013 से 5,400/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 का अकृत्यिक वेतनमान दिया है :--

1. श्री संजीत चौधुरी
2. श्री एम. पी. सिंह
3. श्री जी. आर. मीणा
4. श्री डी. के. सागर
5. श्रीमती कोमल लता बलूजा

2. उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.11.2009 के आदेश संख्या 6/3/2009-सीएस-I (एस) के अनुसार वेतन निर्धारण के लाभ के पात्र होंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. ईआरबी-I/2012/14/12--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित व्यक्तिगत सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु. के पे बैंड-2 में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निजी सचिवों के रूप में पदोन्नत किया गया है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/सुश्री)	
1.	ओम प्रकाश कुमार	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
2.	सारिका बरूआ	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
3.	दीपा गोपीनाथ	01.02.2013 (पूर्वाह्न)
4.	अनुराधा शर्मा	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
5.	सुनील कुमार	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
6.	संजय कुमार गुप्ता	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
7.	सुमा मुकंदन	09.01.2013 (पूर्वाह्न)
8.	मंजीत कौर ग्रोवर	15.01.2013 (पूर्वाह्न)
9.	शशि बाला टक्कर	10.01.2013 (पूर्वाह्न)
10.	सुमित्रा	07.02.2013 (पूर्वाह्न)

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

(i) श्री एस. रामाकृष्णन, संयुक्त निदेशक

(ii) श्रीमती मंजिंदर कौर, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव

(iii) श्री परमानन्द प्रसाद, उप निदेशक

(iv) श्री ब्रह्म भटनागर, अनुभाग अधिकारी

(v) श्री एस. सी. भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी

(vi) श्री ए. के. सिन्हा बिस्वास, अनुभाग अधिकारी

(vii) श्रीमती आदर्श शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--श्री ए. पी. मिश्रा, सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. ए-38020/07/2012-स्था.-II--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क), ग्रुप 'क' के अधिकारी श्री अरूण कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किया जाता है।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. ए-38012/3/2012-ई-I--अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर, श्री अनिल कुमार उपाध्याय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 75), सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. ए-19011/5/2011-ई-I--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 28.12.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12016/5(एसटीएस)/2012-आईएसएस के तहत, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी श्री मुकेश को 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 और 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ टाईम स्केल (एसटीएस) में नियमित प्रोन्नति पर दिनांक 28.12.2012 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. 3/2013 (फा.सं. 5/7/2009-प्रशा.)--राष्ट्रपति निम्न वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों (तदर्थ) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2012-सीएस-II (ए) द्वारा सीएसएसएस के निजी सचिव की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उनके नामों के सामने दर्शाए गए दिनांक से वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में जल संसाधन मंत्रालय में सीएसएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	संतोष कुमार मालवीय	28.12.2012 (अपराह्न)
2.	वरालक्ष्मी नागाराजू	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
3.	देबी प्रसाद मजुमदार	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
4.	आर. एस. बिष्ट	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
5.	सुमन चिनोरिया	01.01.2013 (पूर्वाह्न)

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2013

सं. 7/16/2010-के.भू.ज.बो.--राष्ट्रपति केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक 'ख' के ग्रेड में वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15,600--39,100/- रुपए एवं ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए के कनिष्ठ जल-भूवैज्ञानिक के पद पर अस्थायी रूप से उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं :--

1.	सुश्री अनिशा के.	29.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री परवीन कौर	01.02.2013 (पूर्वाह्न)

वे अपने पद का कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि पर होंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार से, यदि आवश्यक हो, तो आगे बढ़ाया जा सकता है।

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई 2012

सं. 332/2012 (फा.सं. 8/2/2011-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस.-II(ए) के तहत सीएसएसएस संवर्ग की निजी सचिवों की वर्ष 2010 की चयन सूची में निम्नलिखित कार्मिकों के नाम शामिल किए जाने तथा इस मंत्रालय में इनके नामांकन होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के इन कार्मिकों को उक्त चयन सूची में नियमित आधार पर दिनांक 17.07.2012 (अपराह्न) से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। निजी सचिव ग्रेड में इनके विनियमित होने पर, इन्हें अपने नाम के सामने उल्लिखित अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर अगले आदेशों तक कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है :--

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	सीएस एल सं.	कार्यालय में तैनाती
1.	श्रीमती ए संध्यावाणी	सामान्य	28	मुख्य सचिवालय
2.	श्रीमती आशा रानी चड्ढा	सामान्य	307	आकाशवाणी महानिदेशालय
3.	श्रीमती टी. एंटनी	सामान्य	369	दूरदर्शन महानिदेशालय
4.	श्री के. सी. नांगिया	सामान्य	370	मुख्य सचिवालय
5.	श्री गिरीश चन्द	सामान्य	674	पत्र सूचना कार्यालय
6.	श्री के. सी. वर्गीश	सामान्य	682	मुख्य सचिवालय
7.	श्रीमती सोनिया जॉर्ज	अनुसूचित जाति	967	आकाशवाणी महानिदेशालय

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 4/2013 (फा. सं. 18/2/2005-प्रशा.II)--इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में तैनात इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री विजय पाल सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

सं. 6/2013 (फा. सं. 18/7/2010-प्रशा.II)--इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के आर्थिक स्कंध में तैनात भारतीय आर्थिक सेवा की उप निदेशक, सुश्री मीनाक्षी सक्सेना अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

सं. 8/2013 (फा. सं. 18/27/2007-प्रशा.II)--इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री शाम लाल,उप सचिव (सीएसएल सं. 4807) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. 13/2013 (फा. सं. ए-32014/1/2012-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.11.2012 के आदेश सं. 04/02/2012-सी.एस.-II(क) के तहत् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिवों की वर्ष 2010 की प्रवर सूची में शामिल होने और तत्पश्चात् इस मंत्रालय में मनोनीत होने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा कर्मियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के रूप में नियमित आधार पर उनके समक्ष उल्लिखित तिथियों से नियुक्त करते हैं। निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति भी नीचे उल्लिखित है :--

क्रम सं.	सीएसएल संख्या	नाम	संवर्ग एकक, जहां कार्यरत हैं	इस मंत्रालय में कार्य ग्रहण करने की तारीख	कार्यालय जहां निजी सचिव के रूप में तैनाती हुई
		(श्री/श्रीमती/सुश्री)			
1.	1034	हरीश कुमार	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	31.12.2012 (अपराह्न)	मु.स.
2.	1052	रीता टंडन	व्यय	31.12.2012 (अपराह्न)	मु.स.
3.	1053	कमला देवी गर्ग (हिन्दी)	खान	01.01.2013 (पूर्वाह्न)	आकाशवाणी महानिदेशालय
4.	1121	सुनीता	दूरसंचार	31.12.2012 (अपराह्न)	दूरदर्शन महानिदेशालय

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

सं. 14/2013 (फा. सं. ए-22012/6/2012-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2012 के आदेश सं. 04/14/2011-सीएस-I(घ) के तहत् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) के रूप में वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रु. ग्रेड पे 7,600/- में नियुक्त करते हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :--

क्रम सं.	नाम	सीएसएल सं.	पूर्व मंत्रालय/ विभाग	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्य ग्रहण करने की तारीख
1.	डॉ. विंसेंट बार्ला	5134	न्याय विभाग (गृह मंत्रालय)	28.12.2012 (पूर्वाह्न)
2.	मोहन लाल बाधवानी	5138	पर्यावरण एवं वन	31.12.2012 (अपराह्न)

2. इसके अतिरिक्त, उनकी तदर्थ पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में दी गई शर्तों के अधीन होगी।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जनवरी 2013

सं. 22/2013 (फा. सं. 7/1/2007-प्रशा.II)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/4/2012- सीएस-II(ए) के तहत् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रमुख निजी सचिव की चयन सूची, वर्ष 2011 के लिए उनका नाम शामिल किए जाने तथा तदनंतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप श्रीमती ऊषा जी. राजीव, प्रमुख निजी सचिव (तदर्थ), विद्युत मंत्रालय ने इस मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रमुख निजी सचिव के रूप में दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. उन्हें इस मंत्रालय की नामावली में शामिल कर लिया गया है और उक्त तारीख से तथा अगले आदेशों तक दूरदर्शन महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

गीता सुंदरराजन, उप सचिव

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. के-11011/9/2012/डीडी-II--केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3(3) (घ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अभय सिन्हा, मुख्य इंजीनियर (सी) सीपीडब्ल्यूडी को एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में इंजीनियर सदस्य के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000 रु. के वेतनमान + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में नियुक्त करती है।

जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

शहरी विकास विभाग

नई दिल्ली-11, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. ए-32014/1/2010-न.ग्रा.नि.सं./प्रशा.-III/यू.डी.-II--सक्षम प्राधिकारी श्री धनसिंह वर्मा, वरिष्ठ अनुवादक, रक्षा मंत्रालय, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मु.प्र.अ. का कार्यालय, 'ई' ब्लॉक हटमेंट, नई दिल्ली-110011, की नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतन बैंड-3 में सहायक निदेशक (रा.भा.) (जीसीएस ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति को दिनांक 11.02.2013 से अगले एक वर्ष की अवधि (तृतीय वर्ष) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-32014/01/2008-प्रशा. I (पार्ट)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/17/2012-सीएस-I(एस) दिनांक 08.01.2013 के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी'/राजपत्रित) (वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रु. ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के पद पर इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नियुक्ति दिनांक 31.12.2012 के बाद 30.06.2013 तक अथवा उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती है :--

क्रम सं.	नाम	चयन सूची वर्ष	तदर्थ नियुक्ति बढ़ाये जाने की अवधि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	पी. वी. सूर्या राव	1989	30.06.2013
2.	बी. डी. शर्मा	1992	30.06.2013
3.	उदय वीर सिंह	1992	30.06.2013
4.	एन. के. जोशी	1993	30.06.2013
5.	शीश राम	1994	30.06.2013
6.	रीता सिंह	1994	30.06.2013
7.	नरेश कुमार	1994	30.06.2013
8.	ओम प्रकाश	1994	30.06.2013
9.	राज बाला सिंह	1994	30.06.2013
10.	अशोक कुमार	1995	30.06.2013
11.	वी. सी. त्रिपाठी	1995	30.06.2013
12.	रनदिवे वाई. विट्ठल राव	1995	30.06.2013
13.	विजय कुमार	1995	30.06.2013
14.	सरोज बाला भाटिया	1995	30.06.2013
15.	वीरेन्द्र कुमार	1996	30.06.2013
16.	बी. टी. छिचुलकर	1998	30.06.2013
17.	चन्द्र कान्ता मेवाड़	2000	30.06.2013
18.	आशा गुप्ता	2003	30.06.2013
19.	भूपेन्द्र पाल ओबराय	2003	30.06.2013
20.	धरम वीर	2003	30.06.2013
21.	जी. सेशागिरि	2003	30.06.2013
22.	राजेश तनेजा (पहले एच. डी. तनेजा)	2003	30.06.2013

1	2	3	4
23.	हरीकिशन लाल	2003	30.06.2013
24.	जे. ए. रिगो	2003	30.06.2013
25.	जगदीश चन्द	2003	30.06.2013
26.	कमलेश कुमारी सिंघल	2003	30.06.2013
27.	मधु बाला चिनोत्रा	2003	30.06.2013
28.	नानक चन्द	2003	30.06.2013
29.	ओ. पी. कुकरेजा	2003	30.06.2013
30.	पी. के. भट्टाचार्य	2003	30.06.2013
31.	पी. एस. राठौर	2003	30.06.2013
32.	प्रेम खुराना	2003	30.06.2013
33.	संजय सूद	2003	30.06.2013
34.	सरला बवेजा	2003	30.06.2013
35.	सुमन जोशी	2003	30.06.2013
36.	सुमति सकलानी	2003	30.06.2013
37.	सुरेन्दर स्वरूप	2003	30.06.2013
38.	सुषमा उनियाल	2003	31.05.2013*
39.	वी. के. मेहता	2003	30.06.2013
40.	वी. वी. जॉर्ज	2003	30.06.2013

* सेवानिवृत्ति की तिथि तक

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :--

(क) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.06.2013 तक अथवा सेवा-निवृत्ति की तिथि तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

(ख) तदर्थ नियुक्ति नियुक्त व्यक्ति के इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के लिए नियमित नियुक्ति की चयन-सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ग) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक बनी रहेगी। तदर्थ अभ्यर्थियों के इन किन्ही भी दो वर्गों में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारियों को आवंटित संबंधित संवर्ग एककों में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) के पद पर कार्यग्रहण करने पर उनकी उपलब्धता की तारीख से सहायक के संवर्ग में पदावनत कर दिया जाएगा।

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th February 2013

No. RS/3/5/2013/12-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Manjul Kumar Pandey, Deputy Director (Interpretation) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Director (Interpretation) in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 12th February, 2013 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-1, the 14th February 2013

No. A-19011/06/2013-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Satnam Singh Badhawan, IFS (JH:1986), as Joint Secretary in the Ministry of Statistics & Programme Implementation with effect from the afternoon of 13th February, 2013 and upto 24.02.2015, as conveyed by Appointments Committee of the Cabinet vide their communication No. 7/1/2013-EO(SM.I) dated 12.2.2013.

K. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 11th February 2013

No. A-12025/3/2009-Pt.-Admn.1(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar, Superintendent (Translation) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Hindi) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad hoc basis in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for a period of six months with effect from the forenoon of 11th February, 2013 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Rakesh Kumar any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Hindi) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 11th January 2013

No. K. 13022/1/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Shree Chandrashekhar, to be an Additional Judge of the Jharkhand High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

JATINDER KAUR, Dy. Secy. (Justice)

New Delhi-110011, the 16th January 2013

No. K-13022/2/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice Shri Prashant Kumar, (ii) Justice Shri Harish Chandra Mishra, and (iii) Justice Shri Dhruv Narayan Upadhyay, Additional Judges of the Jharkhand High Court, to be Judges of the Jharkhand High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13022/2/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Pradipkumar Premshanker Bhatt, Additional Judge of the Gujarat High Court, to be a Judge of the Gujarat High Court with effect from the date he assumes charge of his offices.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13014/2/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Bachchoo Lal, to be an Additional Judge of the Allahabad High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his offices.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

The 17th January 2013

No. K-13030/2/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Atul Kumar Jain, (ii) Shri Mahendra Kumar Maheshwari, (iii) Shri Vishnu Kumar Mathur, and (iv) Shri Banwari Lal Sharma, to be Additional Judges of the Rajasthan High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

The 22nd January 2013

No. K-13014/3/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Justice

Shri Filomeno Manuel Lopo Sales Rosario Dos Reis, (ii) Justice Shri Rajesh Govind Ketkar, (iii) Justice Shri Ravi Krishnarao Deshpande, (iv) Justice Shri Sanjay Vijaykumar Gangapurwala, (v) Justice Shri Tanaji Vishwas Nalawade, (vi) Justice Shri Madatali Noormohammed Gilani, and (vii) Justice Shri Madan Trymbak Joshi, Additional Judges of the Bombay High Court, to be Judges of the Bombay High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices; and (viii) Justice Shri Madanlal Laxmandas Tahaliyani, Additional Judge of the Bombay High Court, to be a Judge of Bombay High Court with effect from 26th February, 2013, in that order of seniority.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

The 31st January 2013

No. K-11019/1/2013-US.I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Rajesh Kumar Agrawal to perform the duties of the office of the Chief Justice of the Madras High Court with effect from the date he assumes charge of his office in that High Court consequent upon his transfer to the Madras High Court vide Notification No. K-11017/13/2012-US.II dated 31st January 2013.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-11017/13/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Rajesh Kumar Agrawal, Judge of the Allahabad High Court, as a Judge of the Madras High Court and to direct him to assume charge of his office in the Madras High Court on or before 14th February, 2013.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13012/05/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Shiva Kirti Singh, Judge of the Allahabad High Court, to be the Chief Justice of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

The 7th February 2013

No. K-13014/04/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Abhay Mahadeo Thipsay, and (ii) Shri Utkarsh Vishvanath Bakre, to be Additional Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, for a period of one year with effect from 17th March, 2013.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th February 2013

No. I-14012/01/2012/IPS-IV—Consequent upon their selection for appointment to Indian Administrative Service and Indian Revenue Service (IT) on the basis of qualifying the Civil Services Examination, 2011, the President is pleased to accept the technical resignation of the following IPS Probationers of 62 RR (2009 Batch) and 63 RR (2010 Batch) who were appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2008 and 2009 respectively, from the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names below :—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Cadre	Batch	Date of Technical Resignation
	(S/Shri)			
1.	Kundan Kumar, IPS (P)	UK	2009	29.11.2012 (FN)
2.	D. Praveen, IPS (P)	TN	2010	28.01.2013 (AN)

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 11th February 2013

No. A-19011/1/2013/ISC—The President is pleased to appoint Shri Tabom Bam, IAS (AGMU : 77) as Secretary, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 11th February, 2013.

PANKAJ VITHAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

New Delhi, the 12th February 2013

No. 15011/01/2012-Admn.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Surya Prakash Kakkar, Under Secretary, Department of Pension & Pensioners' Welfare retires from the Government Service with effect from the afternoon of 28th February 2013.

SUJASHA CHOUDHURY, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th January 2013

No. /2013 (F. No. A-19013/3/2013-Ad.IA)—In pursuance of Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-12026/8/

2010-CAS, dated 8th January, 2013 and DOP&T's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.07.2012 and 23.11.2012 and inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010, the President is pleased to appoint Ms. Tripta Gupta, a regular Steno Grade 'C' of CSSS as Private Secretary of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 01.01.2013 (F/N).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. /2013 (F. No. A-19013/10/2013-Ad.IA)—In pursuance of Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-32016/01/2012-CAS, dated 14th January, 2013 and DOP&T's O.M. No. 3/3/2011-CAS.II (A) dated 20.03.2012, O.M. No. 3/4/2012-CAS.II (A) dated 16.11.2012 and inclusion in the Select List of the year 2010 (part), the President is pleased to appoint Ms. Hema Kumari, a regular Private Secretary of CSSS as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 24.12.2012 (A/N).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. /2013 (F. No. A-19013/11/2013-Ad.IA)—In pursuance of Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-32016/01/2012-CAS, dated 14th January, 2013 and DOP&T's O.M. No. 3/3/2011-CAS.II (A) dated 20.03.2012, O.M. No. 3/4/2012-CAS.II (A) dated 16.11.2012 and inclusion in the Select List of the year 2011, the President is pleased to appoint Shri Surender Kumar Sharma, a regular Private Secretary of CSSS as Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 27.12.2012 (A/N).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 24th January 2013

No. 2/2013 (F. No. A-19013/2/2013-Ad.IA)—In pursuance of Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-12026/8/2010-CAS, dated 8th January, 2013 and DOP&T's O.M. No. 4/2/2012-CAS.II (A) dated 17.07.2012 and 23.11.2012 on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010 (extended), the President is pleased to appoint Ms. Beena Rani, a regular Steno Grade 'C' of CSSS as Private Secretary of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 01.01.2013 (F/N).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 28th January 2013

No. 3 (F. No. A-38014/8/2012-Ad.IA)—On attaining the age of superannuation, Shri Satish Kumar, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, working as Private Secretary in the Department of Revenue is retiring from the Government Service w.e.f. 31st January 2013 (AN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 13th December 2012

CORRIGENDUM

No. A-32011/2/2001-Ad.VI—In this Department's Notification No. 02 of 2012 (F. No. A-32012/2/2001-Ad.VI) issued on dated 9th March, 2012, the designation of Shri Ramawatar Verma (85072) may be read as Joint Commissioner of Income Tax instead of Deputy Commissioner of Income Tax.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 4th February 2013

No. 8/6/2010-DRT—The services of Shri Man Mohan Anand, Asstt. General Manager, Bank of Baroda, presently working as Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, are placed at the disposal of Bank of Baroda, with effect from 04.02.2013 (A.N.).

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 11th February 2013

No. A-12026/1/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Baljeet Singh, Steno grade 'C' (PA) (officiating as ad hoc PS) in the CSSS Cadre to the post of Steno grade 'A&B' (merged) (PS) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on regular basis against the Seniority Quota (SQ) for the Select List Year 2010 (extended) w.e.f. 22.01.2013 (F/N).

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 22nd January 2013

No. PFG(1040)/2013-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri M. J. Joseph, ICAS (1979) as Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 22nd January 2013.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi, the 5th February 2013

No. A-19011/2/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Shambhu Kallolikar, IAS (TN : 1991) as Joint Secretary in Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers in PB-4 (Rs. 37,400—67,000) + G. P. of Rs. 10,000/- with effect from 05.02.2013 (F/N), for a period of five years or until further orders.

RAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 7th February 2013

No. 2(7)/2009-Estt.—Consequent upon his regular promotion and inclusion in the Select List 2010 (SQ) vide Department of Personnel & Training's vide O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 23rd November, 2012, Shri Rajesh Kumar Rajpal, Stenographer Grade 'C' (ad hoc PS) is appointed as Steno Grade 'A&B' (Private Secretary) on regular basis in the CSSS cadre of Ministry of Steel w.e.f. 23rd November, 2012.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 19th February 2013

SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICY 2013

No. 11001/01/2012-PRC—

Shaping the Future of an Aspiring India

Science, Technology and Innovation (STI) have emerged as the major drivers of national development globally. As India aspires for faster, sustainable and inclusive growth, the Indian STI system, with the advantages of a large demographic dividend and the huge talent pool, will need to play a defining role in achieving these national goals. The national STI enterprise must become central to national development.

Changing Phases of National Policies in S&T

India's Scientific Policy Resolution (SPR) of 1958 resolved to "foster, promote and sustain" the "cultivation of science and scientific research in all its aspects". Technology was then expected to flow from the country's established science infrastructure. The Technology Policy Statement (TPS) of 1983 emphasized the need to attain technological competence and self-reliance. The Science and Technology Policy (STP) of 2003 brought science and technology (S&T) together and emphasized the need for investment in R&D. It called for integrating programmes of socio-economic sectors with the national R&D system to address national problems as well as creating a national innovation system.

The Need for a Science, Technology and Innovation Policy

Scientific research utilizes money to generate knowledge and, by providing solutions, innovation converts knowledge into wealth and/or value. Innovation thus implies S&T-based solutions that are successfully deployed in the economy or the society. It has assumed centre stage in the developmental goals of nations. Paradigms of innovation have become country and context specific. India has, hitherto not accorded due importance to innovation as an instrument of policy. The national S&T enterprise must now embrace S&T led innovation as a driver for development.

India has declared 2010-20 as the "Decade of Innovation". The Government has stressed the need to enunciate a policy to synergize science, technology and innovation and has also established the National Innovation Council (NInC). The STI Policy 2013 is in furtherance of these pronouncements. It aims to bring fresh perspectives to bear on innovation in the Indian context.

STI Policy: A New Paradigm

Science, technology and innovation can exist separately on their own in disconnected spaces. But, it is their integration that leads to new value creation. India's global competitiveness will be determined by the extent to which the STI enterprise contributes social good and/or economic wealth. There is, therefore, the need to create the necessary framework for enabling this integration in identified priority areas by exploiting endogenous resources, strengths and capacities. New structural mechanisms and models are needed to address the pressing challenges of energy and environment, food and nutrition, water and sanitation, habitat, affordable health care and skill building and unemployment. "Science technology and innovation for the people" is the new paradigm of the Indian STI enterprise. The national STI system must, therefore, recognize the Indian society as its major stake holder. Global innovation systems tend to bypass large sections of the community. Innovation for inclusive growth implies ensuring access, availability and affordability of solutions to as large a population as possible. Innovation, therefore, must be inclusive. The instruments of the STI policy will enable this to be realized. The policy will drive both investment in science and investment of science-led technology and innovation in select areas of socio-economic importance. Emphasis will be to bridge the gaps between the STI system and the socio-economic sectors by developing a symbiotic relationship with economic and other policies.

Capturing Aspirations

The key elements of the STI policy are:

- Promoting the spread of scientific temper amongst all sections of society.
- Enhancing skill for applications of science among the young from all social strata.

- Making careers in science, research and innovation attractive enough for talented and bright minds.
- Establishing world class infrastructure for R&D for gaining global leadership in some select frontier areas of science.
- Positioning India among the top five global scientific powers by 2020.
- Linking contributions of science, research and innovation system with the inclusive economic growth agenda and combining priorities of excellence and relevance.
- Creating an environment for enhanced Private Sector Participation in R&D.
- Enabling conversion of R&D outputs into societal and commercial applications by replicating hitherto successful models as well as establishing of new PPP structures.
- Seeding S&T-based high-risk innovations through new mechanisms.
- Fostering resource-optimized, cost-effective innovations across size and technology domains.
- Triggering changes in the mindset and value systems to recognize, respect and reward performances which create wealth from S&T derived knowledge.
- Creating a robust national innovation system.

Investment in Research and Development

Global investments in science, technology and innovation are estimated at $1.2 trillion as of 2009. India's R&D investment is less than 2.5% of this and is currently under 1% of the GDP. Increasing Gross Expenditure in Research and Development (GERD) to 2% of the GDP has been a national goal for some time. Achieving this in the next five years is realizable if the private sector raises its R&D investment to at least match the public sector R&D investment from the current ratio of around 1:3. This seems attainable as the industrial R&D investment grew by 250% and the sales by 200% between 2005 and 2010. Increased private investment is necessary for translating R&D outputs into commercial outcomes. While maintaining current rates of growth in public R&D investments, a conducive environment will be created for enhancing private sector investment in R&D.

The gross budgetary support for the science and technology sector has significantly increased during the last decade. The impact of such increase is becoming evident. India ranks ninth globally in the number of scientific publications and 12th in the number of patents filed. The Composite Annual Growth Rate (CAGR) of Indian publications is around 12±1% and India's global share has increased from 1.8% in 2001 to 3.5% in 2011. But the percentage of Indian publications in the top 1% impact making journals is only 2.5%. By 2020, the global share of publications must double and the number of papers in the top 1% journals must quadruple from the current levels. The citation impact of Indian publications must improve and match at least the world average. Initiatives under the new policy should enable these macro indicators of research to be achieved by 2020.

According to the Global Science Report of the UNESCO, India's current global ranking is commensurate with its number of Full-Time Equivalent (FTE) of R&D personnel. It is imperative that the total number of FTE of R&D personnel increases by at least 66% of the present strength within the next five years.

Promoting Excellence and Relevance in R&D

Nourishing the Roots

Ensuring sustainable pipeline of talented youth for science is a challenge. India has mounted some significant initiatives for attracting talent to science and careers with research. Empowering stakeholders for local actions is a key element of these initiatives. The policy framework will further enable school science education reforms by improving teaching methods, science curricula, motivating science teachers and schemes for early attraction of talent to science. Also special incentive mechanisms will be devised to stimulate research in the universities and develop young leaders in science and engineering.

Excellence and Relevance

Investment in basic research will be enhanced for fostering excellence against global benchmarks and focusing on relevance for addressing national challenges.

Gender Parity

Participation of women in STI activities is important. New and flexible schemes to address the mobility challenges of employed women scientists and technologists will be put in place. A broad scope for re-entry of women into R&D and facilitation mechanisms for special career paths in diverse areas will be sought.

Inter-University Centres

The few inter-university centres that have been set up have proved the concept to be a successful and viable one. Such centres need to be multiplied in different fields to enable a wider cross section of university researchers access advanced research facilities and equipment which are otherwise not available in university environments. These will be discipline-specific as well as multi-disciplinary, including humanities, to address the grand challenges in S&T and its applications.

Participation in Global R&D Infrastructure and Big Science

Modern science is increasingly becoming resource intensive. It has become necessary to create high-cost global infrastructures in some fields through international consortia models. Indian participation in such international projects

will be encouraged and facilitated to gain access to facilities for advanced research in cutting edge areas of science. This will also enable the Indian industry to gain global experience and competitiveness in some high-technology areas with spin-off benefits.

Performance-Linked Rewards and Investments

Transparent centrally implementable Performance Related Incentive Scheme (PRIS), based on past and proven track record in research, will be put in place to enable grant-based investments in such performers. For R&D leading to technology development and knowledge services, the criteria would, however, be institution specific. Centrally instituted incentives to public-funded R&D centres for outcomes leading to public and strategic goods could be introduced.

National Agenda and the STI System

Macro indicators of R&D do not really reflect the innovation capability of a nation. Appropriate indicators, which integrate measures of excellence and inventiveness with relevance and affordable innovation, are necessary for evidence based policy actions. Supply side interventions have hitherto been the main strategy for public investment in R&D. This needs to change. There should be equal emphasis on both supply side interventions and demand based investments.

Around 10 sectors of high impact potential will be identified for directed STI intervention and deployment of requisite resources. Enabling policy instruments that facilitate both institutional research and R&D enterprises to focus their efforts in these areas will be put in place.

The complex value chain of innovation - from idea to market - often calls for STI intervention at all levels: research, technology inputs, manufacturing and services. In the priority areas of socio-economic importance, the policy will enable a holistic approach to intervention, support and investment. Measures taken in this direction will be in consonance with the programmes initiated by the NInC.

R&D policy for agriculture is articulated by the Indian Council of Agriculture Research (ICAR). Integration of the agriculture R&D policy with the national R&D system and the STI policy will be brought about.

STI inputs to the manufacturing sector can lead to enhanced employment generation. The innovation ecosystem for the sector, however, depends on the nature and size of the enterprise and the context. India's share of global trade in high technology products is at present only around 8% and the present technology intensity of the sector is a low of 6-7%. The aim is to double these through greater technology inputs from R&D. A strategic selection of some industry sectors, where India can aspire for leadership, would be made for stepping up R&D intensity and increase India's share in high-technology trade. Small and Medium Enterprises (SME) generally have low R&D intensity. Special schemes to support R&D as well as related services at the firm or collective level, will be devised and put in place.

The R&D intensity of the service sector is generally low. This needs to be enhanced considerably and the skill base also expanded significantly. For rapidly accomplishing the tasks of modernization of technology-based services, missions in some select service sector areas, will be identified. Deployment of technology-led services for transparent Government machinery will also be supported.

Climate variability and change is of global concern and India has articulated a National Action Plan for Climate Change (NAPCC) and identified several national missions. The STI system will have an active role in these missions. It will also serve as a source of strategic knowledge to cope with the challenges of climate variability and change as well as to meet equity-based differentiated and shared responsibilities of India.

Attracting Private Sector Investments in R&D

Public funds for partnerships with the private sector for social and public good objectives will be earmarked as a new policy initiative. A National Science, Technology and Innovation Foundation will be established as a Public-Private Partnership (PPP) initiative for investing critical levels of resources in innovative and ambitious projects.

The focus of the policy will be:

- Facilitating private sector investment in R&D centres in India and overseas.
- Promoting establishment of large R&D facilities in PPP mode with provisions for benefits sharing.
- Permitting multi stakeholders participation in the Indian R&D system.
- Treating R&D in the private sector at par with public institutions for availing public funds.
- Bench marking of R&D funding mechanisms and patterns globally.
- Modifying IPR policy to provide for marching rights for social good when supported by public funds and for co-sharing IPRs generated under PPP.
- Launching newer mechanisms for nurturing Technology Business Incubators (TBIs) and science-led entrepreneurship.
- Providing incentives for commercialization of innovations with focus on green manufacturing.

Delivery Systems for STI Outputs to Stake Holders and Society

Diffusion of scientific outputs and technology interventions into social systems is a multi-layered process. Except for the mission-oriented strategic sectors, the delivery mechanism involves a large number of intermediaries both from the public and private sectors. This requires strengthening of linkages between the scientific and socio-economic sectors. The STI policy will leverage the R&D

allocations of socio-economic ministries through a shared vision, mission-oriented approach and adoption of new delivery models with provisions for accountability. The state governments constitute important stakeholders. Measures will be taken to ensure that state-specific S&T vision and plans are informed and guided by the new STI Policy towards which State S&T Councils/Boards will be strengthened. NGOs will be accorded a pivotal role in the delivery of STI outputs, especially rural technologies, to the grassroots level.

Ecosystem Changes for Science, Technology and Innovation

Special and innovative mechanisms for fostering academia-research-industry partnerships will be devised. Mobility of experts from academia to industry and vice-versa will be facilitated. Success stories in S&T-based innovations from Indian experience would be replicated and scaled up. Regulatory and legal framework for sharing of IPRs between inventors and investors will be put in place. Measures to close gaps in the translation of new R&D findings and grassroot innovations into the commercial space will be taken.

Rigidity of centrally developed plans for investments often does not suit frontline science, technology development and innovation. A flexible approach that allows for fine tuning the Five Year Plan schemes in response to rapid changes in S&T would be put in place with speed, scale and sustainability as key governance parameters.

"Risks" are an integral part of a vibrant innovation system. Risk sharing by the government will significantly increase private sector investment in R&D and technology development. New financing mechanisms for investing in enterprises without fear of failure and options for foreclosing unsuccessful ventures are essential part of an enabling innovation ecosystem. A public procurement policy that favours first of its kind products developed through indigenous innovation and measures to promote such products globally are necessary.

General rules of expenditure control of publicly funded institutions do not suit non-linear growth sectors like science and technology, and more so the innovation sector. Auditing principles should be more aligned to "performance" than "compliance to procedure". The system should be able to differentiate between genuine failures and process deficits.

Specifically the policy will focus on:

- Prioritizing critical R&D areas like agriculture, telecommunications, energy, water management, health and drug discovery, materials, environment and climate variability and change.
- Promoting inter-disciplinary research, including traditional knowledge.
- Fostering the delivery and use in the society of innovations in the strategic sectors with civilian application potential.
- Promoting mechanisms such as "small idea-small money" and "Risky Idea Fund" to support innovation incubators.
- Establishing of a Fund for Innovations for Social Inclusion.
- Leveraging traditional knowledge through modern science for finding solutions to national challenges.
- Supporting STI driven entrepreneurship with viable and highly scalable business models.
- Investing in young innovators and entrepreneurs through education, training and mentoring.

Gaining Global Competitiveness through Collaboration

Open source approaches for public and social goods form interesting innovation systems. Knowledge commons is an emerging theme for managing IPRs created through multi-stake holder participation. The STI Policy will seek to establish a new regulatory framework for data access and sharing as also for creation and sharing of IPRs. The new policy framework will enable strategic partnerships and alliances with other nations through both bilateral and multilateral cooperation in science, technology and innovation. Science diplomacy, technology synergy and technology acquisition models will be judiciously deployed based on strategic relationships.

Public Awareness and Public Accountability of Indian STI Sector

Public understanding of science is an important dimension for introducing and reaching the benefits of modern science and technology to the people. The civilizational aspect of science, or scientific temper, needs to be promoted across all sections of the society systematically. Effective science communication methods, by using tools such as the National Knowledge Network, will be initiated.

Public and political understanding of science should be based on evidence and debates with open mind. People and decision makers must be made aware of the implications of emerging technologies, including their ethical, social and economic dimensions. White papers on mission-oriented programmes, with specific deliverables and timelines, will be published. Mechanisms for assessing the performance of the national STI enterprise through an autonomous and robust evaluation system, which includes social scientists, will be established. The national science academies will be accorded a major role in this endeavour of public accountability.

Policy Vision

The guiding vision of aspiring Indian STI enterprise is to accelerate the pace of discovery and delivery of science-led solutions for faster, sustainable and inclusive growth. A strong and viable Science, Research and Innovation System for High Technology-led path for India (SRISHTI) is the goal of the new STI policy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 7th February 2013

No. 32012/2/2010-IFS-I(AGMUT)—In supersession of this Ministry's Notification No. 32012/1/93-IFS.I dated 23.11.2000 and in exercise of powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint Shri B.C.Das (DOB: 01.08.1945) a State Forest Service officer (SFS) of Arunachal Pradesh segment into Indian Forest Service (IFS) on the basis of recommendations of Review Selection Committee Meeting held on 01.02.2010 for the Select List of 1995-96 and allocate him in Arunachal Pradesh segment of AGMUT joint cadre under sub-rule (1) Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

This is issued in compliance of CAT Guwahati order dated 30.06.2009 in OA No. 125 of 2009.

S.S. BADHAWAN, Director (IFS)

New Delhi-110003, the 7th February 2013

No. 17013/13/2012-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Rajasthan to the Indian Forest Service for the year 2007-A to 2011 containing the name of the following officer of the State Forest Service of Rajasthan towards filling up of promotion quota vacancies available in Rajasthan Cadre of the Indian Forest Service.

Select List-2007A

	Name	Date of Birth
	B.R. Bhadu	16.07.1959

Select List-2008

1.	Ghanshyam Prasad Sharma	08.09.1960
2.	Akshya Singh	07.08.1959

Select List-2009

1.	Y.K. Sahu	20.09.1959
2.	Anil Kumar Kapoor	25.09.1959
3.	Daya Ram Saharan	07.09.1956
4.	Rahul Kumar Bhatnagar	01.07.1959
5.	Indrapal Singh	02.04.1959
6.	Mani Ram Poonia	12.12.1957
7.	R.P. Gupta	15.07.1959
8.	Daya Singh Dullar	08.07.1960
9.	Uma Ram Chaudhary	15.09.1961
10.	Laxman Lal (SC)	01.06.1957
11.	Laxman Lal Parmar (SC)	15.05.1956
12.	Budhi Prakash Pareek	07.07.1957
13.	Raj Kumar Singh	09.01.1964
14.	Rajesh Kumar Jain	31.08.1961
15.	Mahendra Kumar Agrawal	04.08.1960
16.	Manoj Parashar	15.07.1962

Select List-2010

1.	Digvijay Gupta	30.09.1960
2.	K.R. Kala	22.05.1956
3.	P.D. Gupta	07.08.1958
4.	*Sudhir Jain	25.12.1958
5.	Ved Prakash Gurjar	14.07.1961

*The officer at S. No. 4 is included in the list provisionally subject to clearance in the criminal proceedings pending against him.

Select List-2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Roop Narayan Meena (ST)	01.06.1973
2.	Lalit Singh Ranawat	01.07.1958
3.	Amar Singh Gothwal (SC)	01.07.1963
4.	Pokar Mal Sevda	02.03.1958
5.	Om Prakash Sharma	15.09.1959
6.	*R.S. Sharma	16.07.1957

*The Officer at S.No. 6 is included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and in compliance with the interim order of high court Jaipur dated 21.01.2013.

C. S. THAKUR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 24th January 2013

No. A-11013/3/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Satish Chandra Pandey, a non-service

personnel, as 1st Personal Assistant (PB-2, Grade Pay Rs. 4,800/-) to the Minister of State for Health, and Family Welfare (Shri A.H. Khan Choudhury) with effect from the forenoon of 17th January 2013.

2. Appointment of Shri Satish Chandra Pandey will be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever is earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 28th January 2013

No. A. 19012/01/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Sh. Nikunja Bihari Dhal, IAS (OR:93), as Joint Secretary in the Department of Health & Family Welfare, in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/- , w.e.f. the afternoon of 24.01.2013 and for the balance period of his central deputation tenure of five years. i.e. upto 10.04.2017, or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 8th February 2013

No. A. 32012/1/2012-DFQC—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee duly approved by the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri Jayant Kumar, Drugs Inspector to the post of Assistant Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standards Control Organization of the Directorate General of Health Services in the revised pay structure PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- (Group 'A'- Gazetted Non-Ministerial) plus admissible allowances in a regular temporary capacity with effect from 3rd January, 2013, and until further orders.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd January 2013

CORRIGENDUM

No. 32013/2/2012/Estt. I—Reference this Division's notification of even number dated 7th December, 2012 regarding appointment of Under Secretaries on regular basis in this Department and to state that the name of the officer at Sl. No. 3 may be read as Ms. Romila Varandani in place of Smt. Romila Varandani and CSL No. of the officer may be read as 6454/1997 in place of 6454/1995.

SANDEEP KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 15th February 2013

No. 4-10/2011-Extn.—The President is pleased to appoint Smt. Kiran Bala, Assistant Editor (English), Directorate of Extension, New Delhi, to the post of Joint Director (Farm Information), G.C.S., Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the same Directorate on regular promotion basis, with effect from the forenoon of 01.02.2013.

R.S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 15th February 2013

No. A. 13033/1/2013-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P.K. Jha, IFS (OR:93) as Deputy Inspector General of Forest under Central Staffing Scheme of Ministry of Environment and Forests (a Non-CSS Post) in the Department of Land Resources with effect from the forenoon of 1st February, 2013.

ANNOP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th December 2012

No. A. 32011/7/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Shri T.R. Sadasivan Nair, Section Officer (Higher Grade), Government of Kerala as Assistant Private Secretary (in PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-) to the Minister of State for Human Resource Development (Dr. Shashi Tharoor) with effect from 01.11.2012 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister on till he ceases to function as Assitant Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 7th January 2013

No. A. 32011/6/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Chandra Singh (a non-government official) as Additional Private Secretary (PB-3 with Grade Pay of Rs. 6,600/-) to the Minister of State for Human Resource Development (Shri Jitin Prasada) with effect from 29.10.2012 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 21st January 2013

No. A-32013/1/2011-E-III—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary

for the year 2011 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's Order No. 3/4/2012-CS-II (A) dated 16.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Het Ram, a regular Private Secretary of CSSS to the Grade of Principal Private Secretary on proforma promotion basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 16.11.2012.

K. S. MAHAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)

New Delhi-01, the 8th February 2013

No. A-42018/45/2009-Estt.I(Pt.)—In continuation of notification of even number dated 10.12.2012 regarding list of Central Public Information Officers of the M/o Social Justice & Empowerment and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri D.K. Panda, Under Secretary shall function as CPIO in place of Shri K.V.S. Rao, Director. The details of Shri Panda are as under:—

Shri D.K. Panda,
Under Secretary (DD-III)
Room No. 253A, 'A' Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi-01

Telephone No. : 2338 1641

2. In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri K.V.S. Rao, Director shall function as the Appellate Authority of Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment. The details of Shri Rao are as Under:—

Shri K.V.S. Rao,
Director (DD)
Room No. 633, 'A' Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Telephone No. : 2338 7539

3. During the leave etc. of Shri K.V.S. Rao and Shri D.K. Panda, their link officers shall function as Appellate Authority and CPIO, respectively.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 14th February 2013

No. A-12034/8/2012-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri N.T. Pillai, S/o Late M.N. Pillai, B-4/140-B Keshav Puram (Lawrance Road), Delhi-110035 as Assistant Private Secretary in the Office of the Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri P. Balram Naik) w.e.f. 12.11.2012 (F.N.) on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 31st January 2013

No. A-19011/69/2012-Estt.—In pursuance of the Appointment's Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/32/2011-EO (SM.I) dated 18th January, 2013, the President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Smt. Dimple Verma, IAS (UP:89), Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs up to 10.09.2013 after excluding the period of compulsory wait of 7 months and 3 days.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110011, the 14th January 2013

No. A. 32013/1/2009-Admn.I—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/11/2011-C.S.I(U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint the following officers of the Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology, to Grade (Under Secretary) of the Central Secretariat Services (CSS) against the Select List Year mentioned against their name on regular basis:—

Sl. No.	Name	CSL No.	Select Year in which Name included	Date of appointment in Grade-I (US) of CSS	
				Ad hoc	Regular
	S/Shri				
1.	K.S. Dahiya	6153	2009	10.04.2008	01.07.2009
2.	Vijay Kumar	6648	2009	14.06.2010	01.07.2009
3.	Karma Wangdi Sherpa	6664	2009	14.06.2010	01.07.2009
4.	Uday Narayan Sinha	6589	2010	31.05.2010	01.07.2010
5.	O.P. Verma	6684	2010	03.09.2010	01.07.2010
6.	Deo Nath Sah	6741	2010	09.09.2010 (AN)	01.07.2010

2. The senioirty of the officers included in the respective Select Lists, will be in the same order in which their names have been arranged. The vacancies against which the officers have been included in the Select Lists relate to the period from 01.07.2009 to 30.06.2010 (for Select List-2009) and 01.07.2010 to 30.06.2011 (for Select List 2010).

3. The appointment of above mentioned officers to the Grade of Under Secretary on regular basis on their inclusion in US SL-2009, shall be subject to the final outcome in O.A. No. 611/2012 titled "P.S. Bhandari & Ors. vs UoI & Ors. In terms of CAT, PB, New Delhi's Interim order dated 24.02.2012

and any other order by any competent court in any of the connected matters.

VIMAL, Under Secy.

The 31st January 2013

No. PF. 610/Admn.I—On attaining the age of superanuation, Shri J.P. Gautam, Under Secy., Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2013.

VIMAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 11th December 2012

Sub : Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services (Main) Examination, 2011.

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Ravi Verma (Rank No. 485) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Sh. Ravi Verma,
A2/24, Green Tower,
Golf Green,
PO Kolkata,
Distt. Kolkata,
West Bengal-700095

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Anurag Tripathi (Rank No. 508) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Sh. Anurag Tripathi,
Village Shora,
PO Gangaganj,
Distt. Raebareli,
Uttar Pradesh-229303

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Harshvardhan Singh Khangarot (Rank No. 526) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Sh. Harshvardhan Singh Khangarot,
D-52, Road No. 5, Bapu Nagar Senti
Chittorgarh, PO Bapu Nagar Senti,
Distt. Chittorgarh
Rajasthan-312025

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Rashmi Ramesh Doddamane (Rank No. 677) (O.B.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material

facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Ms. Rashmi Ramesh Doddamane,
D/o Sh. Ramesh A. Channangihalli
Kattaya Hobli,
Hassan Taluk,
PO Ankapura Post,
Distt. Hassan,
Karnataka-573120

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Snehal R. (Rank No. 789) (S.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication and (ii) the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Ms. Snehal R.,
D/o Prof. A. S. Rayamane,
66, Annapoorneshwari, 10th Main,
3rd Cross, Muneswaranagar,
Ullal Main Road, PO Jnana Bharathi,
Distt. Bangalore, Karnataka-560056

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Vikas Kundal (Rank No. 797) (S.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificate.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG (SEA-I)

To

Sh. Vikas Kundal,
Village Kharian,
PO Miran Sahib,
Distt. Jammu,
J&K-181101

No. 7-01/2011-SEA. I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Arvind Prakash Xaxa (Rank No. 864) (S.T.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms :—

(i) He/She will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her

being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to : (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Arvind Prakash Xaxa,
A-77-A, Gali No. 2, Phase-I,
Aya Nagar,
New Delhi-110047

No. 7-01/2011-SEA-I—On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Dileep Kumar Rathore (Rank No. 662) (O.B.C.) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Grounp 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100+5,400/- on the following terms:

(i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Dileep Kumar Rathore
S/o Sh. Amrit Lal Rathore
Near Bus Stand DAG, DAG PO-DAG,
Jhalawar,
Rajasthan-326514

The 11 January 2013

No. 7-01/2011-SEA-I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Abhishek Kumar Singh (Rank 517) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- on the following terms:

(i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis

such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/ her eligibility is not in order or any information/material facts having bearing on his/ her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Abhishek Kumar Singh,
11/671,
Indira Nagar,
District —Lucknow,
UP-226016

No. 7-01/2011-SEA-I—On the basis of the Civil Services (Main) Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Ankit Anand (Rank 530) (General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- on the following terms:

(i) He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

(ii) The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more then one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iii) The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

(iv) The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

(v) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

(vi) The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

(vii) Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/ her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any infromation/material facts having bearing on his/ her eligibility have been hidden/misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined to Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B. M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Ankit Anand,
A-66, Gyandeep Apartments,
Mayur Vihar-1,
New Delhi.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 4th February 2013

No. 3(1)/2013-Pers.-I—In pursuance of DoPT's Order No. 10/3/2004-CS.-II (Pt.-1) dated 24.06.2005, the following Private Secretaries of Department of Electronics & Information Technology, is placed in the Non-Functional Scale of Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of 5,400/- P.M. w.e.f. 01.01.2013:-

Sl. No.	Name
1.	Shri Gautam Kapoor, Private Secretary
2.	Shri S. K. Gupta, Private Secretary

2. The above officers are entitled for fixation of pay in pursuance of DoPT Order dated 10/3/2004-CS-II (Pt.) dated 24.11.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

No. 3(1)/2013-Pers.-I—In pursuance of DoPT's Order No. 21/36/2003-CS.-I dated 13.11.2003 r/w DOPT's Order No. 5/4/2005-CS.-I dated 25.01.2006, the following Section Officer of Department of Electronics & Information Technology are placed in the Non-Functional Scale of Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of 5,400/- P.M. w.e.f. 01.01.2013:—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Shri Sanjit Choudhury
2.	Shri M. P. Singh
3.	Shri G. R. Meena
4.	Shri D. K. Sagar
5.	Shri Komal Lata Baluja

2. The above officers are entitled for fixation of pay in pursuance of DoPT Order dated 6/3/2009-CS-I (S), dated 19.11.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th February 2013

No. ERB-I/2012/14/12—The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), have been promoted as Private Secretaries of RBSSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on adhoc basis, with effect from the date indicated against each:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	Om Prakash Kumar	09.01.2013 (FN)
2.	Sarika Barua	09.01.2013 (FN)
3.	Deepa Gopinath	01.02.2013 (FN)
4.	Anuradha Sharma	09.01.2013 (FN)
5.	Sunil Kumar	09.01.2013 (FN)
6.	Sanjay Kumar Gupta	09.01.2013 (FN)
7.	Suma Mukundan	09.01.2013 (FN)
8.	Manjit Kaur Grover	15.01.2013 (FN)
9.	Shashi Bala Takkar	10.01.2013 (FN)
10.	Sumitra	07.02.2013 (FN)

H. K. JAGGI, Secy.
Railway Board

The 12th February 2013

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2013:—.

(i)	Shri S. Ramakrishnan	Joint Director.
(ii)	Smt. Manjinder Kaur	Sr. Principal Private Secretary
(iii)	Shri Parmanand Prasad	Deputy Director
(iv)	Shri Brahma Bhatnagar	Section Officer
(v)	Shri S. C. Bhardwaj	Section Officer
(vi)	Shri A. K. Sinha Biswas	Section Officer
(vii)	Smt. Adarsh Sharma	Librarian

H. K. JAGGI, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4—Shri A. P. Mishra, Member Engineering, Railway Board and Ex-Officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.01.2013, on attaining the age of superannuation.

H. K. JAGGI, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 7th February 2013

No. A-38020/7/2012-E.II—On attaining the age of superannuation, Shri Arun Kumar Sharma, Chief Engineer

(Civil), an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi has retired from Government Service on 31.12.2012 (A/N).

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 8th February 2013

No. A-38012/3/2012-E-I—On attaining the age of superannuation, Shri Anil Kumar Upadhyay, IAS (BH:75) Secretary, Ministry of Road Transport & Highways has retired from Government Service w.e.f. 31.1.2013 (A.N.).

D. R. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd January 2013

No. A-19011/5/2011-E-I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/5(STS)/2012-ISS dated 28.12.2012, the President is pleased to appoint Shri Mukesh an officer of Indian Statistical Service as Deputy Director in the Ministry of Road Transport & Highways on his regular promotion to the Senior Time Scale (STS) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. 28.12.2012.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th January 2013

No. 3/2013 (F. No. 5/7/2009-Admn.)—Consequent upon inclusion in the Select List for the year 2010 of Private Secretary of CSSS vide DoPT's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.7.2012, the President is pleased to appoint the following Personal Assistants/PS (ad hoc) as Private Secretaries on regular basis in CSSS cadre in Ministry of Water Resources in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/-) with effect from the dates mentioned against their names as under:—

S. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Smt.	
1.	Santosh Kumar Malviya	28.12.2012 (A.N.)
2.	Varalakshmi Nagaraju	01.01.2013 (F.N.)
3.	Debi Prasad Majumdar	01.01.2013 (F.N.)
4.	R. S. Bisht	01.01.2013 (F.N.)
5.	Suman Chinoriya	01.01.2013 (F.N.)

L. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 13th February 2013

No. 7/16/2010-CGWB—The President is pleased to appoint the following persons to the post of Junior Hydrogeologist in the grade of Scientist 'B' in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in the Central Ground Water Board on temporary basis with effect from the dates shown against their names:—

1. Ms Anisha K. — 29.10.2012 (FN)
2. Ms Parveen Kaur — 01.02.2013 (FN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their joining the post which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 30th July 2012

No. 332/2012 (F. No. 8/2/2011-Admn.II)—Consequent upon inclusion of their names in the Select List year of 2010 of Private Secretaries of CSSS Cadre and nomination to this Ministry itself vide DoPT's O.M. No. 4/2/2012-CS. II (A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint the undermentioned CSSS personnel as Private Secretaries in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in the said Select List with effect from 17.07.12 (AN). On their regularization in the PS grade, they are allowed to continue with their present postings as mentioned against each, until further orders:—

Sl. No.	Name	Category	CSL No.	Posted in the Office
1.	Smt. A. Sandhyavani	Gen	28	MS
2.	Smt. Asha Rani Chadha	Gen	307	DG:AIR
3.	Smt. T. Antony	Gen	369	DG:DDn
4.	Shri K. C. Nangia	Gen	370	MS
5.	Shri Girish Chand	Gen	674	PIB
6.	Shri K. C. Varghese	Gen	682	MS
7.	Smt. Sonia George	SC	967	DG:AIR

S. S. BEDI, Under Secy.

The 2nd January 2013

No. 4/2013 (F. No. 18/2/2005-Admn. II)—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Pal Singh, Section Officer of CSS cadre of this Ministry, posted in the Main Sectt. of this Ministry, has retired from the Government Service on 31.12.2012 (A/N).

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 6/2013 (F. No. 18/7/2010-Admn.II)—On attaining the age of superannuation, Ms. Meenakshi Saxena, Deputy Director of Indian Economic Service, posted in Economic Wing of the Main Sectt of this Ministry, has retired from the Government Service on 31.12.2012 (A/N).

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 8/2013 (No. 18/27/2007-Admn.II)—On attaining the age of superannuation, Shri Sham Lal, Deputy Secretary, (CSL No. 4807), of CSS cadre of this Ministry, has retired from the Government Service on 31.12.2012 (A/N).

S. S. BEDI, Under Secy.

The 4th January 2013

No. 13/2013 (No. A-32014/1/12-Ad.II)—Consequent upon inclusion of their names in the Select List Year of 2010 of Private Secretaries of CSSS Cadre and nomination to this Ministry itself DoPT's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 23.11.2012, the President is pleased to appoint the undermentioned CSSS personnel as Private Secretaries in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting on regular basis in the said Select List with effect from the dates mentioned against each. Their postings as PS are also indicated as under :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Cadre Unit where working	Date of Joining in this Ministry	Posted in the Office as PS
		(S/Shri/Smt./Ms.)			
1.	1034	Harish Kumar	DoP&T	31.12.2012 (AN)	MS
2.	1052	Reeta Tandon	Expenditure	31.12.2012 (AN)	MS
3.	1053	Kamla Devi Garg (Hindi)	Mines	01.01.2013 (FN)	DG:AIR
4.	1121	Sunita	Telecom	31.12.2012 (AN)	DG:DDn

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 14/2013 (No. A-22012/6/2012-Admn.II)—Consequent upon their promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad hoc basis vide DoPT's Order No. 4/14/1/2011-CS.I(D) dated 14.12.2012, the President is pleased to appoint undermentioned officers of Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service as Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretatiat Services cadre of Ministry of Information & Broadcasting in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- as per the details given below :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Previous Ministry/ Deptt.	Date of Joining in M/o I&B
	(S/Shri)			
1.	Dr. Vincent Barla	5134	D/o Justice (MHA)	28.12.2012 (FN)
2.	Mohan Lal Wadhwani	5138	Environment & Forests	31.12.2012 (AN)

2. Further, their ad hoc promotion is subject to the conditions as laid down in DoPT's Order ibid.

S. S. BEDI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 10th January 2013

No. 22/2013 (No. 7/1/2007-Admn.II)—Consequent upon inclusion of her name for the Select List Year 2011 of Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service and subsequent nomination to M/o Information & Broadcasting vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/4/2012-CS.II(A) dated 16.11.2012, Smt. Usha G. Rajeev, Principal Private Secretary (ad hoc) of M/o Power has reported for duty in this Ministry as Principal Private Secretary on regular basis on 01.01.2013 (F/N).

2. She is taken on the rolls of this Ministry and posted in DG : Doordarshan with effect from the same date and until further orders.

GEETHA SUNDARARAJAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

New Delhi, the 1st February 2013

No. K-11011/9/2012-DDII—In exercise of the powers conferred under Section 3(3)(d) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri Abhai Sinha, Chief Engineer (C), CPWD, as Engineer Member in the Delhi Development Authority, (DDA) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- GP of Rs. 10,000/- for a period of three years with effect from the date he assumes charge or until further orders, whichever is earlier.

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 6th February 2013

No. A-32014/1/2010-TCPO/Admn.III/UD-II—The Competent Authority is pleased to extend the Deputation of Shri Dhan Singh Verma, Senior Translator in the Ministry of Defence, Office of the JS(T) & CAO, 'E' Block Hutments, New Delhi-110011, to the post of Assistant Director (OL) (GCS Group 'A' Gazetted) in the Town & Country Planning Organisation in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- for further period of one year (third year) with effect from 11.02.2013, or until further orders, whichever is earlier.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-32014/01/2008-Admn.I (Pt.)—The President is pleased to extend the appointment of the following

Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the Grade of Section Officer (Group 'B'/ Gazetted) (Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay of Rs. 4,800/-) on ad hoc basis in this Ministry beyond 31.12.2012 upto 30.06.2013 or till the date of their retirement, whichever is earlier, in pursuant to DoPT's O.M. No. 6/17/ 2012-CS.I(S) dated 08.01.2013 :—

Sl. No.	Name	Select List Year	Period upto which ad hoc appointment extended
1	2	3	4
	(S/Sh./Smt.)		
1.	P. V. Surya Rao	1989	30.06.2013
2.	B. D. Sharma	1992	30.06.2013
3.	Udai Vir Singh	1992	30.06.2013
4.	N. K. Joshi	1993	30.06.2013
5.	Sheesh Ram	1994	30.06.2013
6.	Rita Singh	1994	30.06.2013
7.	Naresh Kumar	1994	30.06.2013
8.	Om Prakash	1994	30.06.2013
9.	Raj Bala Singh	1994	30.06.2013
10.	Ashok Kumar	1995	30.06.2013
11.	V. C. Tripathi	1995	30.06.2013
12.	Randive Y. Vithal Rao	1995	30.06.2013
13.	Vijay Kumar	1995	30.06.2013
14.	Saroj Bala Bhatia	1995	30.06.2013
15.	Virender Kumar	1996	30.06.2013
16.	B. T. Chichulkar	1998	30.06.2013
17.	Chandra Kanta Mewar	2000	30.06.2013
18.	Ashok Gupta	2003	30.06.2013
19.	Bhupinder Pal Oberai	2003	30.06.2013
20.	Dharam Vir	2003	30.06.2013
21.	G. Seshagiri	2003	30.06.2013
22.	Rajesh Taneja (formerly H.D. Taneja)	2003	30.06.2013
23.	Harikishan Lal	2003	30.06.2013
24.	J. A. Rego	2003	30.06.2013
25.	Jagdish Chand	2003	30.06.2013
26.	Kamalesh Kumari Singhal	2003	30.06.2013
27.	Madhu Bala Chinotra	2003	30.06.2013
28.	Nanak Chand	2003	30.06.2013
29.	O. P. Kukreja	2003	30.06.2013
30.	P. K. Bhattacharya	2003	30.06.2013
31.	P. S. Rathore	2003	30.06.2013
32.	Prem Khurana	2003	30.06.2013
33.	Sanjay Sood	2003	30.06.2013
34.	Sarla Baweja	2003	30.06.2013
35.	Suman Joshi	2003	30.06.2013
36.	Sumati Saklani	2003	30.06.2013
37.	Surender Swaroop	2003	30.06.2013
38.	Sushma Uniyal	2003	31.05.2013*
39.	V. K. Mehta	2003	30.06.2013
40.	V. V. George	2003	30.06.2013

*Upto the date of superannuation.

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officers on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

(a) The period of ad hoc promotion would be upto 30.06.2013 or till date of their retirement or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.

(b) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the Section Officers Grade of CSS.

(c) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DoP&T.

A. K. THAKUR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

MGIPF—[Part I—Sec. 2]—90 Copies.